

प्ररूप

आकवि-3

भारतीय आय-कर विवरणी

(कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ से आय प्राप्त करने वाले व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के लिए)

कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए

(कृपया अनुदेश देखें)

निर्धारण वर्ष

2

0

2

2

-

2

3

भाग क- जी.ई.एन

साधारण

व्यक्तिगत सूचना

पहला नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम	स्थायी लेखा सं०
फ्लैट / दरवाजा / ब्लाक सं०		परिसर / भवन / ग्राम का नाम	प्रास्थिति (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्य-ट <input type="checkbox"/> हिन्दू अविभक्त कु ट ब
सड़क / गली / डाक घर		जन्म तिथि / स्वरूप (तिथि / मास / व-ई) / /	
क्षेत्र / अवस्थान		आधार संख्यांक (12 अंक)/ आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र है)	
नगर / शहर / जिला		राज्य देश	पिन कोड / जिप कोड
निवास/कार्यालय का एस.टी.डी कोड सहित फोन नं० / मोबाइल नं० 1		मोबाइल नं० 2	

ई मेल पता-1 (स्वयं का)		ई मेल पता-2	
(क)	धारा ...के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरणा, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्	
	या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	<input type="checkbox"/> 139(9)	<input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148
(ख)	क्या आप धारा 115 खकग के तहत नई कर व्यवस्था का विकल्प चुन रहे हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं वर्तमान निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प <input type="checkbox"/> अभी विकल्प चुन रहे हैं <input type="checkbox"/> विकल्प नहीं चुन रहे <input type="checkbox"/> विकल्प जारी <input type="checkbox"/> विकल्प से बाहर		
(खि)	यदि हां, कृपया प्रस्तुत करें	प्रपत्र 10-IE भरने की तारीख दि./मा./वर्ष	पावती क्रमांक:
(ग)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत आय की विवरणी दायर कर रहे हैं लेकिन अन्यथा आय की विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है? -(सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: केवल तभी भरी जानी चाहिए यदि एक व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत उल्लिखित एक अथवा अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय की विवरणी भर रहे हैं।]		
(गि)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)	
(ग ii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है	(यदि हां है तो) रकम (₹)	
(गiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)	
(गiv)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के तहत निर्दिष्ट शर्तों के तहत आयकर विवरणी दाखिल कर रहे हैं। किंतु अन्यथा आयकर विवरणी भरने की आवश्यकता नहीं है? (हां/नहीं) (यदि हां, तो नीचे प्रस्तुत तालिका से प्रासंगिक शर्त का चयन करें)		
(घ)	यदि पुनरीक्षित/ त्रुटिपूर्ण है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख / मास / वर्ष)	/ /	
(ड)	यदि धारा 139 (9) / 142 (1) के अंतर्गत नोटिस या धारा 119 (2) (ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर के रूप में दायर किया गया है, तो यूनिंक नंबर / डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और ऐसी सूचना / आदेश की तारीख दर्ज करें, या यदि धारा 92गघ के अंतर्गत दायर किया गया है तो अग्रिम मूल्य समझौते की तारीख दर्ज करें	(यूनिंक नंबर)	/ /
(च)	भारत में आवासीय प्रास्थिति (व्यक्तियों के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> आप पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे [धारा 6(1)(क)] <input type="checkbox"/> आप पूर्व वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे या पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान 365 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में रह चुके हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहाँ स्पष्टीकरण 1 लागू न हों] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं, जिसने रोजगार के प्रयोजनार्थ भारत छोड़ दिया, भारतीय जहाजरानी पर कर्मीदल के सदस्य के रूप में भारत में 182 दिनों के लिए थे या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इससे अधिक तथा गत 4 वर्षों के भीतर 365 दिनों के लिए था इससे अधिक [स्पष्टीकरण धारा (6)(1)(ग) का 1(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक है या भारतीय मूल के व्यक्ति है और भारत में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आए हैं क) 182 दिनों के लिए या उससे अधिक गत वर्ष के दौरान तथा पूर्ववर्ती 4 वर्षों के भीतर 365 दिनों के लिए या उससे अधिक;या ख) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 120 दिनों के लिए या उससे अधिक तथा गत 4 वर्षों के भीतर 365 दिनों के लिए या उससे अधिक, यदि कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख ₹. से अधिक हो [स्पष्टीकरण धारा (6)(1)(ग) का 1(ख)]	
	(क) निवासी	<input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ती 10 वर्षों में से 9 में भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान 729 दिन या उससे कम भारत में रह रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक है, या भारतीय मूल के व्यक्ति है जो भारत में आया है जिसकी कुल आय i. विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त 15 लाख ₹. से अधिक है; तथा ii. भारत में गत वर्ष के दौरान 120 दिनों से अधिक किंतु 182 दिनों से कम रहा है [धारा 6(6)(ग)]	
	(ख) निवासी किंतु पर साधारण तौर पर निवासी नहीं।		

			<input type="checkbox"/> आप भारत के नागरिक हैं जो धारा 6 के खंड (1) के तहत अनिवासी नहीं हैं और धारा 6 के खंड (1क) के तहत भारत का निवासी माना जाता है। जिसकी कुल आय विदेशी स्रोतों से आय के अतिरिक्त गत वर्ष के दौरान 15 लाख रु. से अधिक है और किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर प्रभार्य नहीं है। आपके अधिवास या निवास या अन्य किसी समान प्रकृति के मानदंड के कारण [धारा (6)(6)(घ) धारा 6(1क)] के साथ पठित											
		(ग) अनिवासी	<input type="checkbox"/> आय पूर्व वर्ष के दौरान अनिवासी थे (i) कृपया पूर्व वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताओं) को विनिर्दिष्ट करें। -											
			क्रम सं.	निवास की अधिकारिता (ओं)	करदाता (ओं) की पहचान संख्या									
			1											
			2											
			(ii) भारत का नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें -											
			पूर्व वर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)						पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)					
	भारत में आवासीय प्रास्थिति (हिंदु, अविभक्त कुटुंब के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(घ) <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> निवासी किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं <input type="checkbox"/> अनिवासी												
(छ)	क्या आप धारा 115ज के अधीन फायता का दावा करना चाहते हैं? (निवासी की दशा में लागू) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													
(ज)	क्या आप धारा 5 क के अनुसार पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किये जाते हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया अनुसूची 5क भरें)													
(झ)	क्या यह विवरणी एक प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें													
	(1)	प्रतिनिधि का नाम												
	(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्राप डाउन का उल्लेख किया जाए)												
	(3)	प्रतिनिधि का पता												
	(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पैन)/ आधार संख्या												
(ञ)	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय किसी कंपनी में निदेशक थे? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें।-													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	क्या इसके अंश सूचीबद्ध हैं या असूचीबद्ध	निदेशक पहचान संख्या (नि.प.सं)									
(ट)	क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (सही का निशान लगाएं) (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -													
	फर्म का नाम						स्थायी लेखा सं.							
(ठ)	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किए हैं? सही का निशान लगाएं। (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया साधारण अंशों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।													
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए अंश					वर्ष के दौरान अंतरित अंश		अंत अतिशेष	
				अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	अभिदाय/ क्रय की तारीख	प्रतिअंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(ड)	अनिवासी की दशा में क्या कोई भारत में स्थायी स्थापन है <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं													

(ढ)	अनिवासी के मामले में क्या भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (एस ई पी) है? (चिन्ह) ० हां ० नहीं कृपया विवरण प्रस्तुत करें (क) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान लेन-देन से उत्पन्न भुगतान का योग (ख) धारा 9(1)(i) के स्पष्टीकरण 2क(क) में संदर्भित भारत में उपयोगकर्ताओं की संख्या
(ण)	क्या निर्धारिती की अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इकाई और केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आय व्युत्पन्न करता है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(क2)	क्या निर्धारिती केवल 44कड / 44ख / 44खख / 44कच / 44कचक / 44खखक / 44खखख के तहत आय की घोषणा कर रहा है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(क2i)	यदि नहीं, तो वर्ष के दौरान कुल बिक्री / कारोबार / व्यापार की सकल प्राप्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(क2ii)	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या पिछले वर्ष के दौरान बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां या पूंजीगत योगदान, ऋण आदि जैसे पूंजीगत लेखा के लिए प्राप्त राशि सहित सभी राशियों का कुल मिलाकर नकद में उक्त राशि के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है? हां <input type="checkbox"/> नहीं
(क2iii)	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या व्यय के लिए राशि या पूंजीगत लेखा जैसे परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋणों के पुनर्भुगतान आदि सहित किए गए सभी भुगतानों का कुल, पिछले वर्ष के दौरान नकद में, उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है? हां <input type="checkbox"/> नहीं
(ख)	क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए दायी हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(ग)	यदि (ख) हां है तो क्या लेखाओं की किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा कराई गई है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	(1) लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (तारीख / मास / वर्ष) / /
	(2) कर के लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम
	(3) लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या
	(4) लेखा परीक्षक का नाम (स्वत्वधारी / फर्म)
	(5) स्वत्वधारी/फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या
	(6) स्वत्वधारी/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (पैन) / आधार सं.
	(7) लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख
(घा)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
(घाii)	यदि (घा) हां है, क्या धारा 93 अ के अधीन खातों को संपरीक्षित <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> नहीं लेखा परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख दि./मा./वर्ष किया गया है
(घाiii)	यदि अन्य लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी, वर्णन करें क्या आपने ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि हां, कृपया नीचे उल्लिखित विवरण प्रदान करें, लेखा परीक्षा प्रस्तुत करने की तारीख (दि./मा./वर्ष) (कृपया निर्देश देखें)
	क्रम सं. / सेक्शन कोड / तारीख (दिदि / मास / वर्ष)
(ड)	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है तो अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें।
	अधिनियम और धारा / दिदि/मा.मा. / वर्षवर्षवर्षवर्ष / अधिनियम और धारा / दिदि/मा.मा. / वर्षवर्षवर्षवर्ष

कारबार की प्रकृति

कारबार या बृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या बृत्ति एक से अधिक हैं तो मुख्य क्रियाकल्पों/ उत्पादों को उपदर्शित करें (धारा 44कच, धारा 44कचक और 44कड. के अधीन आय की घोषणा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न)

क्र०सं०	कोड (कृपया अनुदेश देखें)	संपत्तिक का नाम, यदि कोई है	वर्णन
(i)			
(ii)			
(iii)			

भाग क - तुलनपत्र

मालिकाना कारोबार अथवा व्यवसाय का 31 मार्च 2022 को तुलन-पत्र (ऐसे मामले में जहां नियमित बही लेखा रखा जाता है नीचे मदों को भरें, अन्यथा मद 6 भरें)

निधियों का उपयोग	1	स्वामी की निधि		
	क	स्वामी की पूंजी	क	
	ख	आरक्षित और अधिशेष		
	I	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खi	
	II	पूंजी आरक्षिति	खii	
	III	कानुनी आरक्षिति	खiii	
	IV	कोई अन्य आरक्षिति	खiv	
	V	योग (खi + खii + खiii + खiv)	खv	
	ग	कुल स्वत्वधारी की निधि (क + खv)	1ग	
	2	ऋण निधियां		
	क	प्रतिभूत ऋण		
	i	विदेशी मुद्रा ऋण	क i	
	ii	रूपए में ऋण		
	अ	बैंकों से ऋण	iiअ	
	आ	अन्य से	iiआ	
	इ	योग (iiअ + iiआ)	iiइ	
	iii	योग (कां + iiइ)	काii	
	ख	अप्रतिभूत ऋण (जिसके अंतर्गत निक्षेप राशि भी है)		
	i	बैंकों से ऋण	खi	
	ii	अन्य से	खii	
iii	योग (ख i + खii)	खiii		
ग	योग ऋण निधि (काii + खiii)	2ग		
3	आस्थगित कर दायित्व	3		
4	निधियों के स्रोत (1ग + 2ग + 3)	4		
1	स्थिर आस्तियां			
क	सकल ०: ब्लाक	1क		
ख	अवक्षयण	1ख		
ग	शुद्ध ब्लाक (क - ख)	1ग		
घ	चल रहा पूंजी कार्य	1घ		
ङ	योग (1ग + 1घ)	1ङ		
2	विनिधान			
क	दीर्घकालिक विनिधान			
I	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गई	का		
II	सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गई	काii		
III	योग (का + काii)	काiii		
ख	अल्पकालिक विनिधान			
I	साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित	खi		
II	अधिमानी शेयर	खii		
III	डिबेंचर	खiii		
IV	योग (खi + खii + खiii)	खiv		
ग	कुल विनिधान (काiii + खiv)	2 ग		
3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम			
क	चालू आस्तियां			
I	बीजक			
अ	भंडार, जिसके अंतर्गत खपने वाली पैकिंग सामग्री भी है	iअ		
आ	कच्ची सामग्री	iआ		
इ	कार्यरत भंडार	iइ		
ई	तैयार माल / व्यापार माल	iई		
उ	योग (iअ + iआ + iइ + iई)	iउ		
II	अन्यान्य ऋणी	काii		
III	नकद और बैंक अतिशेष			

	अ	हस्तगत नकदी	iiiअ		
	आ	बैंक के पास अतिशेष	iiiआ		
	इ	योग (iiiअ + iiiआ)		iiiइ	
	Iv	अन्य चालू आस्तियाँ		काiv	
	V	कुल चालू आस्तियाँ (iउ + काii + iiiइ + काiv)		कव	
	ख	ऋण और अग्रिम			
	I	नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य	खi		
	ii	निक्षेप, ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम	खii		
	iii	राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष	खiii		
	Iv	योग (खi + खii + खiii)		खiv	
	ग	चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (कव + खiv)		3ग	
	घ	चालू दायित्व और उपबंध			
	I	चालू दायित्व			
	अ	अन्यान्य लेनदार	iअ		
	आ	पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ		
	इ	उपर्युक्त पर उदभूत ब्याज	iइ		
	ई	उदभूत ब्याज किंतु जो ऋणों पर शोध्य नहीं हैं	iई		
	उ	योग (iअ + iआ + iइ + iई)		iउ	
	ii	उपबंध			
	अ	आयकर के लिए उपबंध	iiअ		
	आ	छुट्टी भुनाने / अधिवर्षिता / उपदान के लिए उपबंध	iiआ		
	इ	अन्य उपबंध	iiइ		
	ई	योग (iiअ + iiआ + iiइ)		iiई	
	iii	योग (iउ + iiई)		चiii	
	ड	शुद्ध चालू आस्तियाँ (3ग - चiii)		3ड	
	4	क अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क		
	ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख		
	ग	लाभ और हानि लेखा / संचित अतिशेष	4ग		
	घ	योग (4क अ 4ख अ 4ग)		4घ	
	5	निधियों के उपयोजन का योग (1ड + 2ग + 3ड + 4घ)		5	
कोई लेखा मामला नहीं	6	उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती है - (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2020 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)			
	क	अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम		6क	
	ख	अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम		6ख	
	ग	व्यापारगत स्टॉक की कुल रकम		6ग	
	घ	नकदी बकाया की रकम		6घ	

भाग क- विनिर्माण लेखा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती है उस दशा में मद 1 से 3 भरें, मद 61 से 64 भरें, जैसा लागू हो)

1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन			
क	आरंभिक सूची			
i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i		
ii	चालू काम का आरंभिक स्टॉक	ii		
iii	कुल (i + ii)		काiii	
ख	ऋय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)		ख	
ग	प्रत्यक्ष मजदूरी		ग	
घ	प्रत्यक्ष व्यय (घi + घii + घiii)		घ	
i	आवक बहन व्यय	i		
ii	विद्युत आर ईंधन	ii		
iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		
ड.	कारखाने का उपरी खर्च			
I	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i		
II	कारखाना किराया और दरें	ii		
III	कारखाना बीमा	iii		

	Iv	कारखाना ईंधन और विद्युत	iv		
	V	कारखाने का साधारण व्यय	v		
	Vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi		
	Vii	कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)			
च	विनिर्माण लेखा के लिए कुल विकलन (क iii+ख +ग +घ +ड.vii)				ड.vii
2	बंद स्टॉक				1च
	i	कच्ची सामग्री	2i		
	ii	चालू काम	2ii		
	कुल (2i +2ii)				
3	माल उत्पाद की लागू - व्यापारिक लेखा के लिए अंतरित (1च - 2)				3

भाग -क व्यापारिक लेखा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए व्यापारिक लेख (जहाँ नियमित लेखा बही रखी जाती है, वहाँ मद 4 से मद 12 तक भरें अन्यथा मद 61 से मद 64 भरें, यथा लागू)

व्यापारिक लेखा के लिए प्रत्यय	4	संक्रियाओं से राजस्व				
		क	कारबार का विक्रय/सकल प्राप्ति शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो			
		i	मात्रा का विक्रय	i		
			सेवाओं का विक्रय	ii		
			अन्य संक्रियात्मक राजस्व (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)			
		क		iiia		
				iiib		
			कुल (iiik + iiix)	iiic		
		iv	कुल (i + ii + iii ग)			काiv
		ख	वृत्ति से सकल प्राप्ति			ख
ग		विक्रीत माल और सेवा या पूर्ति के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य शुल्क, कर और उपकर				
i	संघ उत्पाद शुल्क	i				
	सेवा कर	ii				
	मूल्य वादित कर/ विक्रय कर	iii				
	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सी जी एस टी)			iv		
	राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)			v		
	समेकित माल केवा कर (आई जी एस टी)			vi		
	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)			vii		
	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर			viii		
	कुल (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			गix		
	घ	संक्रियाओं से कुल राजस्व (काiv + ख+गix)			4घ	
5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक			5		
6	व्यापारिक लेखा के लिए कुल प्रत्यय (4घ + 5)			6		
7	तैयार माल का आरंभिक स्टॉक			7		
8	क्रय (सुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)			8		
9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9		
i	आवक वहन व्यय	9i				
	विद्युत और ईंधन	9ii				
	अन्य प्रत्यक्ष व्यय (टिप्पण प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है)			9iii		
10	क्रय किए गए माल और सेवा के संबंध में शुल्क और क्रय, संदत्त या संदेय।					
i	सीमा शुल्क	10i				
	प्रति शुल्क	10ii				
	विशेष अतिरिक्त शुल्क			10iii		
	संघ उत्पाद शुल्क			10iv		
	सेवा कर			10v		
	मूल्य वादित कर/ विक्रय कर			10vi		
	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सी जी एस टी)			10vii		
	राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)			10viii		
	समेकित माल केवा कर (आई जी एस टी)			10ix		
	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)			10x		
	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर			10xi		
	कुल (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii		
11	माल उत्पाद की लागत - विनिर्माण लेखा से अंतरित			11		

व्यापारिक लेखा के लिए विकलन

12	कारबार / वृत्ति से सकल लाभ-लाभ और हानि लेखा को अंतरित (6-7-8-9-10xii-11)	12	
----	--	----	--

भाग क-लाभ और हानि वित्तिय वर्ष 2021-22 के लिए लाभ और हानि लेखा (नियमित लेखा बहियां बनाए रखे जाने की दशा में मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू⁶¹ से⁶⁵ भरें)

लाभ और हानि लेखा में जमा	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ			13	
	14	अन्य आय				
		i	किराया	i		
		ii	कमिशन	ii		
		iii	लाभांश आय	iii		
		iv	ब्याज आय	iv		
		v	नियत आस्तियों के विक्रय से लाभ	v		
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के विक्रय पर लाभ	vi		
		vii	अन्य निवेशों के विक्रय पर लाभ	vii		
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी मुद्रा मूल्य में उतार चढ़ाव के मद्दे अभिलाभ (हानि)	viii		
		ix	धारा 28(vिक) के अधीन माल सूचियों को पूंजी आस्तियों में संपरिवर्तित किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को माल सूची का उचित बाजार मूल्य)	ix		
		x	कृषि आय	x		
		xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		xia		
		ख		xib		
		ग	योग (xiक + xiख)	xic		
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)			14xii	
	15	लाभ और हानि लेखा में किए गए जमा का योग (13+14xii)			15	
हानि	16	बर्हिगामी माल भाडा			16	
	17	भंडारों और कलपुर्जों का उपभोग			17	
	18	विद्युत और ईंधन			18	
	19	किराया			19	
	20	भवनों की मरम्मत			20	
	21	मशीनरी की मरम्मत			21	
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर				
		i	वेतन और मजदूरी	22i		
		ii	बोनस	22ii		
		iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii		
		iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv		
		v	छुट्टी यात्रा फायदा	22v		
		vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi		
		vii	मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि में अभिदाय	22vii		
		viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii		
		ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix		
		x	कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा, जिसके संबंध में कोई व्यय उपगत किया गया है	22x		
		xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i to 22x का योग)		22xi	
		xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xiiक	हां / नहीं	
			यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख		
	23	बीमा				
		i	चिकित्सा बीमा	23i		
		ii	जीवन बीमा	23ii		
		iii	कीमेन्स बीमा	23iii		
		iv	अन्य बीमा, जिसके अंतर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि हैं	23iv		
		v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v	
	24	कर्मकार और कर्मचारीवृंद कल्याण संबंधी व्यय			24	
	25	मनोरंजन			25	
	26	सत्कार			26	

27	सम्मेलन			27	
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)			28	
29	विज्ञापन			29	
30	कमीशन				
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i		
	ii	अन्यों को संदत्त	ii		
	iii	योग (i + ii)		30iii	
31	स्वामिस्व				
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i		
	ii	अन्यों को संदत्त	ii		
	iii	योग (i + ii)		31iii	
32	वृत्तिक/परामर्श संबंधी फीस/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस				
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i		
	ii	अन्यों को संदत्त	ii		
	iii	योग (i + ii)		32iii	
33	होटल, बोर्डिंग और वासा			33	
34	विदेशी यात्रा से भिन्न यात्रा व्यय			34	
35	विदेशी यात्रा व्यय			35	
36	वाहन व्यय			36	
37	टेलीफोन व्यय			37	
38	अतिथि गृह व्यय			38	
39	क्लब व्यय			39	
40	त्यौहार मनाए जाने संबंधी व्यय			40	
41	छात्रवृत्ति			41	
42	दान			42	
43	संदान			43	
44	दरें और सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर (आय-कर को छोड़कर)				
	i	संघ का उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	मूल्यवर्धित कर / विक्रय कर	44iii		
	iv	उपकर	44iv		
	v	केंद्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र एकीकृत माल और सेवाकर (यूजीएसटी)	44viii		
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, एसटीटी और सीटीटी सहित	44ix		
	x	कुल दरें और संदत्त या संदेय कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)		44x	
45	संपरीक्षा फीस			45	
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	i		i		
	ii		ii		
	iii	कुल (i + ii)		46iii	
47	डूबा ऋण (ऐसे व्यक्ति का पेन/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें, यदि उपलब्ध हों, जिसके लिए डूबे ऋण के संबंध में एक लाख रुपए या अधिक की रकम का दावा किया गया है और रकम)				
	i1			47i1	
	i2			47i2	
	i3			47i3	
		अपेक्षानुसार पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं। कुल (47i1+47i2+47i3)	47i		
	ii	अन्य (1 लाख रुपये से अधिक) जहाँ पेन/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूर्ण पता उपबंधित करें)	47ii		
	iii	अन्य (1 लाख रुपये से कम की रकम)	47iii		
	iv	कुल डूबा ऋण(47i + 47ii + 47iii)		47iv	
48	डूबा और शंकास्पद ऋण के लिए उपबंध			48	
49	अन्य उपबंध			49	

कर और विनियोग के लिए उपबंध	50	ब्याज, अवधायण और कर के पूर्व लाभ [15 – (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]				50	
	51	ब्याज					
		i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी केलिए भारत से बाहर संदाय या भारत में संदाय	i			
		ii	अन्य को	ii			
		iii	कुल (i + ii)			51iii	
	52	अवधायण और क्रमिक अपाकरण				52	
	53	करों के पूर्ण सुद्ध लाभ (50 – 51iii – 52)				53	
	54	चालू कर के लिए उपबंध				54	
	55	आस्थगित कर का प्रावधान				55	
	56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)				56	
उपधारात्मक मामले	57	पूर्व वर्ष से आग अतिशेष				57	
	58	विनियो केलिए उपलब्ध रकम (56 + 57)				58	
	59	आरक्षित और अधिशेद के लिए अंतरित				59	
	60	स्वत्वधारी के लेखे में तुलनपत्र के लिए अग्रणीत अतिशेष (58 – 59)				60	
	61	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारवार आय की संगणना					
		क्रम सं.	कारवार का नाम	कारवार कोड	विवरण		
		(i)	सकल आवर्त या सकल प्राप्ति (i)क + iख)			61i	
		(क)	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	i)क			
		(ख)	कोई अन्य रीति	i)ख			
		(ii)	धारा 44 क घ के अधीन उपधाराणात्मक आय (ii)क + iiख)			61ii	
	(क)	61i क का 6% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो	ii)क				
	(ख)	61iख का 8% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो	ii)ख				
	टिप्पण- यदि उपर्युक्त सकल प्राप्ति/ आवर्त के प्रतिशत से कम आय है, दो धारा 44कख के अधीन लेखा वही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है।						
62	धारा 44कघक के अधीन वृत्ति से उपधाराणात्मक आय की संगणना						
	क्रम सं.	कारवार का नाम	कारवार कोड	विवरण			
	(i)	सकल प्राप्ति			62i		
	(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (62i का 50% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है उनमें से जो भी अधिक हो)			62ii		
	टिप्पण – यदि आय सकल प्राप्ति के 50% से कम है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा वही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है।						
63	धारा 44 कघ के अधीन माल वहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना						
	क्रम सं.	कारवार का नाम	कारवार कोड	विवरण			
	(i)	माल वहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	क्या स्वामित्व/पट्टे/ किराया	माल वहन की टन भार क्षमती (मिटीक टन में)	महीनों की संख्या जिसमें माल निर्धारिती द्वारा स्वामित्व/पट्टे/ किराया पर दिया गया था।	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (12 मि.ट से अधीन टन भार होने की दशा में प्रति माह प्रति माह प्रति टन 1000 रु0 दी कर से संकलित या अन्य 7500 रु0 प्रति माह की दर से या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	
	(क)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	(ख)						
		कुल					
	आवश्यकतानुसार पंक्ति में ब्यौरा भरें (वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए)						
	(iii)	धारा 44 कड. के अधीन माल वहन से कुल उपधाराणात्मक आय सारणी 6 का स्तंभ (7) का योग]				63(iii)	
	टिप्पण – यदि लाभ धारा 44कड. के अधीन विहित से कम है या 10 वर्षों के दौरान किसी समय स्वामित्व/पट्टे / किराये पर माल वहन की संख्या अधिक है, तब धारा 44 कख के अधीन लेखा वही और कर संपरीक्षा रखना आज्ञापक है।						

लेखा मामला नहीं	64	यदि कारबार का लेखा बही या वृत्ति नियमित रूप से नहीं रखा जाता है, तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।		
	(i)	कारबार पर लेजाने वाले निर्धारिती के लिए		
	क	सकल प्राप्तियाँ (क1 + क2)	ik	
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1	
	2	कोई अन्य रीति	क2	
	ख	सकल लाभ	ix	
	ग	व्यय	ig	
	घ	शुद्ध लाभ		64i
	(ii)	वृत्ति पर ले जाने वाले निर्धारिती के लिए		
	क	कुल प्राप्तियाँ (क1 + क2)	iiia	
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क 1	
	2	कोई अन्य रीति	क 2	
	ख	सकल लाभ		64ii
	ग	व्यय		
घ	शुद्ध लाभ		64iii	
(iii)	कुल लाभ(64i + 64ii)		64iii	
65	I सट्टे वाले क्रियाकलाप से आवत		65i	
	II सकल लाभ		65ii	
	III खर्च यदि कोई हो		65iii	
	IV सट्टे वाले क्रियाकलाप से शुद्ध आय (65ii-65iii)		65iv	

भाग क - अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (आज्ञापक है, यदि धारा 44 ख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है अन्य भरने के लिए यदि लागू हो)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति <input type="checkbox"/> वाणिज्यिक <input type="checkbox"/> नकद	(चिह्नित करें)	
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है <input type="checkbox"/> नहीं	(चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हाँ	
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii)]	3क	
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटीकरण मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii)]	3ख	
	4	पूर्व वर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन के पद्धति		
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)		<input type="checkbox"/>
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)		<input type="checkbox"/>
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
	घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ	
	ङ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ	
	5	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित है--		
	क	धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें	5क	
	ख	प्रोफार्मा क्रेडिट, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय अथवा विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर के प्रतिदाय अथवा जीएसटी के प्रतिदाय, जहां ऐसे क्रेडिट, वापसी या प्रतिदाय प्राधिकारियों द्वारा शोध्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।	5ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे	5ग	
घ	आय की कोई अन्य मद	5घ		
ङ	पूँजी रसीद, यदि कोई है	5ङ		
च	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च		

6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अननुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें			
	क	स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख	
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभांश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
	घ	उधार ली गई पूंजी के संबंध में संदत्त ब्याज की रकम [36(1)(iii)]	6घ	
	ङ	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iiiा)]	6ङ	
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
	छ	किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
	ज	धारा 80 ग ग घ में विनिर्दिष्ट पेंशन स्कीम को अंसदान की रकम	6ज	
	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
	ञ	किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
	ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या ई एस आर् अघिनयम के अधीन गठित किसी निधि को अंशदान के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई रकम या सम्यक तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि [36(1)(vक)]	6ट	
	ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
	ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(viiक)]	6ड	
	ढ	किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
	ण	कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
	त	प्रतिभूतियों में संव्यसहार की वावत संयक प्रतिभूतियों की रकम यदि ऐसी आय को कारवार आय में सम्मिलित नहीं किया गया है [36(1)(xv)]	6त	
	थ	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आई सी डी एस के अनुसार बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित नुकसान को संगणित रूप में चिन्हित [36(1)(xviii)]	6 थ	
	द	कोई अन्य नामजूरी	6 द	
	ध	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (6 क से 6 द का योग)	6 ध	
7	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क	
	ख	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय [37(1)]	7ख	
	ग	कारवार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए संपूर्ण रूप से और अन्नय रूप से नहीं अधिकथित या व्यय किए गए खर्च [37(1)]	7ग	
	घ	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रेक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ	
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
	छ	किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय	7छ	
	ज	किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज	
	झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	7झ	
	ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)	7ञ	
	8	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
क		अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अक	
ख	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (I क) XVII- ख	अख		

		ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के उपबंधों की अननुपालना पर, धारा 40(क) (iख) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग	
		घ	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम XVII-ख	अघ	
		ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40 (क) (ii)]	अङ	
		च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40 (क) (iiक)]	अच	
		छ	धारा 40 (क) (ii ख) के अनुसार स्वामिस अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के माध्यम से संदत्त रकम	अछ	
		ज	किसी भी साथी या सदस्य को देय ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक की राशि धारा [40(ख)/40(खक)] के अंतर्गत अस्वीकार्य	अज	
		झ	कोई अन्य नामंजूरी	अझ	
		ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अठ का योग)		8अज
	आ		किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		8आ
9			धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
		क	धारा 40क (2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम	9क	
		ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख	
		ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)]	9ग	
		घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यष्टि निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि ; [40 क (9)]	9घ	
		ङ	कोई अन्य नामंजूरी	9ङ	
		च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (कुल 9क से 9ङ)		9च
10			किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		
		क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	
		ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
		ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	10ग	
		घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	
		ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ	
		च	छुट्टी भुनाने के म दे संदेय कोई राशि	10च	
		छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	10छ	
		ज	धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (18क से 18ज का योग)		10ज
11			पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा को विकलित कोई रकम किन्तु 43 ख के अधीन अननुज्ञेय		
		क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क	
		ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख	
		ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग	
		घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ	

	घक	कर निर्धारिती द्वारा किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्रमवद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा से किसी उधार अथवा ऋण पर ब्याज के रूप में देय कोई राशि ऐसे ऋण अथवा उधार को प्रशासित करने वाली सेवा तथा शर्तों के अनुसार होगी।	11घक		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	छुट्टी भुनाने के मदे संदेय कोई राशि	11च		
	छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	11छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)		11ज	
12	निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मुल्य बर्धित कर / विक्रय कर	12ग		
	घ	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य करम	12ज		
	झ	बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12झ	
13	धारा 33क ख या धारा 33 क ख क के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम			13	
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम			14	
15	लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम			15	
16	धारा 14क के अधीन नामजूर व्यय की रकम			16	
17	क्या निर्धारिती धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां नहीं <input type="checkbox"/> [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]			17	

भाग क-मात्रात्मक ब्यौरे		मात्रात्मक ब्यौरे (आज्ञापक, यदि धारा 44खक के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है)				
मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	किसी व्यवसाय समुल्यान की दशा में				
	1	आरंभिक स्टाक		1		
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		2		
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय		3		
	4	अंतिम स्टाक		4		
	5	कमी / अधिक यदि कोई हो		5		
	(ख)	किसी निर्माणकारी समुल्यान की दशा में				
	6	कच्ची सामग्री				
		क	आरंभिक स्टाक	6क		
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख		
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान खपत	6ग		
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ		
		ङ	अंतिम स्टाक	6ङ		
		च	प्राप्त तैयार माल	6च		
		छ	प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ		
	ज	कमी / अधिक, यदि कोई हो	6ज			
	7	तैयार माल / उपोत्पाद				
		क	आरंभिक स्टाक	7क		
ख		पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख			
ग		पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग			
घ		पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ			
ङ		अंतिम स्टाक	7ङ			

च	कमी / अधिक, यदि कोई हो	7च
---	------------------------	----

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू हों)

अनुसूची वेतन वेतन से आय का ब्यौरा

नियोजक का नाम		नियोजक की प्रकृति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> (ड्रॉप डाउन दिया जाएगा)		नियोजक का ट्रेन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)	
नियोजक का पता		नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
1	सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)			1	
वेतन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्रॉप डाऊन उपबंधित किया जाए)	1क		
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्रॉप डाऊन उपबंधित किया जाए)	1ख		
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्रॉप डाऊन उपबंधित किया जाए)	1ग		
	घ	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय	1घ		
	ङ	अधिसूचित देश(घ) के अतिरिक्त के तहत देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय	1ङ		
(एक से अधिक नियोजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)					
2	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)			2	
2क	धारा 89 क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा			2क	
3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाईलिंग उपयोगिता में ड्रॉप डाऊन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (नोट: सुनिश्चित करें कि यह कुल सकल आयक में उपर्युक्त(2) में शामिल है।)			3	
4	कुल वेतन (2 - 2क - 3)			4	
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)			5	
वेतन	क	धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	5क		
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख		
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग		
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)			6	

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें)

1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
गृह संपत्ति	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)				
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)				
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता
	I				
	II				
/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पणी देखें)		किराएदार (किराएदारों) का पैन/टिन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो		यदि किराये पर हो(
<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में					
<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया		I			
		II			

क प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य		1क	
ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख		
ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग		
घ योग (1ख + 1ग)	1घ		
ड वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)	1ड		
च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ड)	1च		
छ 1च का 30%	1छ		
ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज		
झ योग (1छ + 2ज)	1झ		
ञ वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया	1ञ		
ट गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ज)	1ट		
2 संपत्ति 2 का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / जिप कोड
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)			
संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)			
सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता
I			
II			
I लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पण देखें)
II <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया		I	
		II	
क प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)		2क	
ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख		
ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग		
घ योग (2ख + 2ग)	2घ		
ड वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)	2ड		
च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ड)	2च		
छ 1च का 30%	2छ		
ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज		
झ योग (2छ + 2ज)	2झ		
ञ वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया	2ञ		
ट गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ज)	2ट		
3 आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास *	3		
4 "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/अंक लेवें)	4		
टिप्पण	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।		
टिप्पण	किराएदार का पैन/ आधार संख्या दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झख के अधीन काटा जाता है		

किराएदार का टैन् दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है

अनुसूची – कारबार या वृत्ति

कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

अ	सदृश कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से				
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग त और ठ का मद 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) और 65(iv))	1			
2क	1 में सम्मिलित सदृश के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें) [अनुसूची लाभ और हानि की क्रम संख्या 65iv] कोई लेखा मामला न होने के मामले में	2क			
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2ख			
3	धारा 115खखच के अधीन अन्य / प्रभार्य / धारा खखख के अधीन प्रभार्य के अन्य शीर्ष के अधीन ध्यान में रखे गए लाभ और हानि के अनुसार आय / उधार प्राप्ति	क	वेतन	3क	
		ख	गृह संपत्ति	3ख	
		ग	पूजी अभिलाभ	3ग	
		घ	अन्य स्रोत	3घ	
		ङ	धारा 115खखच के अधीन	3ङ	
		च	115खखख के अधीन	3च	
4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ / 44कघक / 44कङ / / 44ख / 44खख / 44खखक / 44घक (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाए)	4क			
4ख	नियम 7, 7 क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्राप डाउन जो उपबंधित है और व्यक्तिगत रेखा मद के अनुसार उपबंधित और पकड़ने का ड्राप् टाउन)	4ख			
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है				
क	फर्मों से आय का अंश	5क			
	ख	एओपी / बीओआई से आय का अंश	5ख		
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	i		ग i		
	ii		ग ii		
iii	योग (ग i + ग ii)	5 ग iii			
घ	कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 ग iii)	5 घ			
6	शेष (1- 2 क- 2 ख- 3 क- 3 ख- 3 ग- 3 घ- 3च - 4क- 4ख- 5 घ)	6			
7	धारा 115खखच के अधीन या धारा खखख के अधीन प्रभार्य आय / सम्बद्ध आय के अन्य शीर्ष के अधीन ध्यान रखे गए लाभ और हानि के अनुसार उधार व्यय	क	वेतन	7क	
		ख	गृह संपत्ति	7ख	
		ग	पूजी अभिलाभ	7ग	
		घ	अन्य स्रोत	7घ	
		ङ	धारा 115खखच के अधीन	7ङ	

कारबार या वृत्ति से आय

		च	115खखख के अधीन	7च		
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित है			8क		
8ख	धारा 14क के अधीन लाभ और हानि लेखों में से विकलित व्यय, जो आय से छूट देने और नामजूर होने से संबंधित है (भाग क- अन्य जानकारी का 21)			8ख		
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 7च + 8क + 8ख)			9		
10	समायोजित लाभ या हानि (6 + 9)				10	
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और उपकरण				11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण					
	i धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घ ङ त का स्तंभ 6)			12i		
	ii धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना स्वयं करे और आयकर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें)			12ii		
	iii कुल (12i + 12ii)				12iii	
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 +11 - 12iii)				13	
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 6घ)			14		
15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 7 य)			15		
16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 8कड)			16		
17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 9 च)			17		
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा- 43ख के अधीन अनुज्ञेय हैं (भाग क -ओ आई का 11ज)			18		
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज			19		
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय			20		
21	धारा 32कघ / 32कग / 33कख / 33कखक / 35कखक / 35कखख / 35 कग / 40 क(3क) / 33कग / 72 क / 80 झझघ / 80-1क के अधीन समझी गई आय			21		
22	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय			22		
23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें			23		
24	कोई अन्य आय (जिसके अंतर्गत उस से जिसमें कोई व्यक्ति / हिंदू अविभक्त कुटुंब / स्वामित्वधारी समुत्थान भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है			24		
25	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में वृद्धि या हानि में कमी (अनुसूची णझ के स्तंभ 3क + 4ख)			25		
26	कुल (14+15+16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)				26	
27	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती			27		
28	लाभ और हानि लेखा को विकलित रकम से अधिक में धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौतियों की रकम (अनुसूची ङधद की मद 10(41) (यदि धारा 35 या धारा 35जगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती योग्य रकम पी एल लेखा को विकलित रकम से काम है तो यह मद 24 में जाएगी)			28		

29	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क- ओ आई का 8 ख)	29	
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -ओ आई का 10 ज)	30	
31	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	31	
32	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में कमी या हानि में वृद्धि (अनुसूची णज्ञ के स्तम्भ 3ख + 4ड)	32	
33	कुल (27+28+29+30+31+32)		33
34	आय (13+26-33)		34
35	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि -		
	i धारा 44कघ (अनुसूची त और ठ के 61(ii))	35i	
	ii धारा 44कघक (अनुसूची त और ठ के 62 (ii))	35ii	
	iii धारा 44कड (अनुसूची त और ठ के 63(ii))	35iii	
	iv धारा 44ख	35iv	
	v धारा 44खख	35v	
	vi धारा 44खखक	35vi	
	vii धारा 44घक	35vii (प्ररूप उ ग ड की मद ष)	
	viii कुल (35i to 35vii)		35viii
36	सट्टा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 35viii)		36
37	सट्टा कारबार से भिन्न कारबार या वृत्तिक से शुद्ध लाभ या हानि और नियम 7 का, 7 ख लागू हाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कारबार यदि लागू है (यदि नियम 7 क, ख लागू नहीं है, तो 40 के अनुसार वही अंक भरे) (यदि हानि है तो मद 5 का 2 से अंक लें) (37क + 37ख + 37ग + 37घ + 37ड + 37च)		क 37
	क नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	37क	
	ख नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ख	
	ग नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ग	
	घ नियम 7ख (1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37घ	
	ड नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	37ड	
	च नियम 7क, 7ख और नियम 8 से भिन्न आय (मद सं. 40)	37च	
38	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के संकलन के उद्देश्य के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू के पश्चात, कृषि से संझी गई आय का अतिशेष [4ख- (37क+ 37ख + 37ग+ 37घ + 37ड.)]		38
आ	सट्टा के कारबार से आय की संगणना		
39	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (मद सं. 2क)		39
40	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		40
41	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां		41
42	अनुमानित कारबार से आय (39 + 40 - 41) (यदि हानि है तो अनुसूची ग च ठ के 6xi से अंक लें)		ख 42
इ	धारा 35 क घ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना		
43	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि		43
44	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		44
45	धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियाँ (धारा(i) 35 क छ, (ii) 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न जिस कटौती का दावा धारा 35 क छ के अधीन किया गया है)		45
46	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (43 + 44 - 45)		46
47	धारा 35 क घ(1) के अनुसार कटौतियाँ		47
48	अनुमानित कारबार से आय (45 - 46) (यदि हानि है तो अनुसूची सी एफ एल के 7xi से अंक लें)		ग 48

	49	धारा 35कछ की उप-धारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जिसमें विनिर्दिष्ट कारबार भी सम्मिलित है (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयनित की जाए)	ग49		
घ	Income chargeable under the head 'Profits and gains' (A37+B41+C47)	D	घ		
		कारबार वृत्तिक से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय			
ड	चालू वर्ष की कारबार हानि का अन्तः मुजराई शीर्ष				
	क्र.सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (यह स्तंभ तभी भरे जब अंक शून्य या सकारात्मक है)	मुजराई कारबार हानि	मुजराई के पश्चात शेष कारबार आय
			(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
	i	मुजराई किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल जब भरे यदि अंक नकारात्मक है)		(क 37)	
	ii	अनुमानित कारबार से आय	(ख 42)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 48)		
	iv	मुजरा की गई कुल हानि (ii + iii)			
	v	मुजराई के बाद शेष हानि (i - iv)			
टिप्पण	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें				

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
		15	30	40	45
2	दर (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
3क	धारा 115खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प				
3ख	पूर्व वर्ष के पहले दिन समायोजित रिटन डाउन वैल्यू (3) + (3क)				
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3ख या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3ख+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				

12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञान (स्तम्भ 15 के अलावा)				
17	शुद्ध संकलित अवक्षयण (15-16)				
18	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 - 3ख - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+9-15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	भूमि	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियाँ	पोत
	2	कुछ नहीं	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	कुल अवक्षयण। (10+11)							

13	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञान अवक्षयण (स्तम्भ 12 के अलावा)						
14	शुद्ध संकलित अवक्षयण (12-13)						
15	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)						
16	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय						
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)						
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्या (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						

अनुसूची आस्तियों पर अवक्षयण का सार आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी				
		क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i यथालागु)	1क		
		ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii यथालागु)	1ख		
		ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii यथालागु)	1ग		
		घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)	1घ		
		ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)		1ङ	
	2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)				
		क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii यथालागु)	2क		
		ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii यथालागु)	2ख		
		ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv यथालागु)	2ग		
		घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))		2घ	
	3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए 14v या 15v यथालागु)			3	
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi यथालागु)			4	
	5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii यथालागु)			5	
	6	कुल अवक्षयण (1ङ + 2घ + 3 + 4 + 5)			6	

अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के विक्रय पर समझा गया पूंजी अभिलाभ अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क	

	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 20iv)	1घ		
	ड	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)		1ड	
2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)				
क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क			
ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख			
ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग			
घ	योग (2क+2ख+2ग)		2घ		
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची घ ड क 17v)				3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीईए 17vi)				4
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)				5
6	कुल अवक्षयण (1ड +2घ+3+4+5)				6

अनुसूची इ.एस.आर

वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती)

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iik)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
Viii	35गगग			
Ix	35गगघ			
x	योग			

टिप्पणः धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iia) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(2AA) के अधीन की गई कटौती की दशा में (कृपया अनुसूची आरए के अनुसार ब्यौरे उपलब्ध कराएं)

अनुसूची पूँजी अभिलाम

पूँजी अभिलाम

अ	अल्पकालिक पूँजी अभिलाम (एस टी सी जी) (निवासियों के लिए उप-मद 4 और 5 लागू नहीं हैं)			
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)		
		क्रय/अधिग्रहण की तिथि/माह/वर्ष		तिथि/माह/वर्ष
क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रति कर का पूर्ण मूल्य		क i
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य		क ii

		पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(कii) के 1.10 गुणा से अधिक न होने की दशा में (कi), इन अंकों के	क iii					
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियों						
		i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख	ख i					
		ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii					
		iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii					
		iv अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv					
		v योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v					
	ग	शे-1 (क iii – ख v)	1 ग					
	घ	धारा के अधीन कटौतियाँ 54 ख /54 ग / 54 छ /54 ज क	1 घ					
	ङ	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)				क		
	च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें						
		क्रम सं.	क्रयकर्ता ओं का नाम	क्रयकर्ता ओं का पैन/ आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड
		टिप्पण ▶	पैन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यदि कर की कटौती धारा 194क के अधीन की गई है।					
2		विक्रय गिरावट से						
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	2 क	(प्ररूप 3 ज ड क का 5)				
	ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति	2 ख	(प्ररूप 3 ज ड क का 6 (ड)				
	ग	गिरावट विक्रय से अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (2 क -2 ख)						क
3		इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ II के						
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	3 क					
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियों						
		i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम 8कख से	ख i					
		ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii					
		iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii					
		iv अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv					
		v योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v					
	ग	शे-1 (3 क – ख v)	3 ग					
	घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अनुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आरिस्त खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिटे प्राप्त की जाती है तब	3 घ					
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख ड च (संदद एस टी टी) पर अल्पकालिक पूँजी						क 3
4		अनिवासी के लिए जो च II नहीं हैं - किसी भारतीय कम्पनी के शेयरों या लाभांश की विक्री से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेशी विनमय के साथ गणना की जाय						*
	क	उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी)						क 4
	ख	उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी)						A4 ख
5		अनिवासियों के लिए -115 क घ से अनुसार किसी एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों (उपर क तीन						
	क	i प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं,						
		क कोट न किए जाने वाले शेयरों की	क					
		ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख					
		ग पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए	ग					
		ii अधिक कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न	क ii					
		iii कुल (ग + ii)	क iii					
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियों						
		i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम	ख i					
		ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii					
		iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii					
		iv अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv					
		v योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v					
	ग	शे-1 (5 क iii – ख v)	5 ग					

		धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/	5 घ		
	ड	एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (उपर क 3 से	क 5		
6		उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			
	क	I आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित			
		क कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	क		
		ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख		
		ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत	ग		
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
		iii कुल (ग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ			
		i अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियम	ख i		
		ii सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii		
		iii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii		
		iv अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv		
		v योग (ख i + ख ii + ख iii + ख iv)	ख v		
	ग	शे-1 (6क iii - ख v)	6 ग		
	घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि प्रतिभूति अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/	6 घ		
	ड	अवक्षयण योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6)	6 ड		
	च	धारा के अधीन कटौति 54 ग/54 छ/54 क	6 च		
	छ	उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एस टी सी जी	क		
7		लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्णों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ण के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?			
	क्रम सं.	पूर्व वर्णों में आस्तियों	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्णों में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियाँ अर्जित/निर्मित की गईं वर्ण जिसमें आस्तियाँ अर्जित/निर्मित की गईं हैं	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गईं या पूंजी अभिलाभ खाता (X) में उपयोग में नहीं लाई गईं बची हुईं
	i	2017-	54घ/54छ/54क		
	ii	2018-	54ख		
	ख	धारा 54 ख/54 घ/54 छ/54 क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी			
	ग	अधिनियम की धारा 45(4) धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार लघुकालिक पूंजीगत	ग		
		लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+ xii + ख + ग)	क7		
8		लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची सीटीआई 1(रे)/क8क+8कख+क8ग)	क8		
	क	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 15% की दर से प्रभार्य	क		
	ख	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 20% की दर से प्रभार्य	क8		
	ग	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 30% की दर से प्रभार्य	ख		
		लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 35% की दर से प्रभार्य	क8ग		
9		एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार कर के लिए प्रभार्य या विशेष दरों पर प्रभार्य नहीं है			

क्रम सं.	आय की रकम	उपर मद सं. क 1 से क 8 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डी डीटी ए की वस्तु	संघि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है (यदि	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आई टी अधिनियम की धारा	आई टी अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर I(6) या (9) के नीचे	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I										
II										
क	डीटीए के अधीन एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि								क 9	
ख	डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की								क 9	
10	कुल अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (क 1 ड + क 2 ग + क 3 ड + क 4 क + क 4 ख +								क	
ख दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (एल टी सी जी) (उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 नेवासियों में लागू नहीं है)										
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे									
	क्रय/अधिग्रहण की तिथि/माह/वर्ष	विक्री/स्थानांतरण तिथि/माह/वर्ष								
क	i	प्राप्त /प्राय प्रतिकर पूर्ण मूल्य	क i							
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति	क ii							
	iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क ii) के (क i) से 1.10 गुणा न होने की दशा में	क iii							
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ									
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड (iii) नियमों के निम्न अन्वये से प्राप्त होने वाले अन्वय	ख i							
	ii	अधिग्रहण की लागत	ख ii							
	iii	अधिग्रहण के साथ अधिग्रहण की लागत	ख iii							
	iv	उन्नति की लागत	ख iv							
	v	उन्नति वर्ष	ख v							
	पंक्ति सम्मिलित करें									
	vi	सूचीकरण के साथ उन्नति लागत	ख vi							
	vii	हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण एवं अनन्य रूप	ख							
	viii	योग (ख ii + ख v + ख vi)	खvii							
ग	शेन (क iii - ख viii)								1 ग	
घ	धारा 54/54ख/54घ/54ङ/54च/54 छ/54 ज क/54 छ ख के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में								1 घ	
ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)								ख 1	
च	स्थावर संपत्ति को अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे									
	क्रम सं.	क्रयकर्ता ओं का नाम	क्रयकर्ता ओं का पेन/ आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड			
	टिप्पण ▶ पेन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यदि कर की कटौती धारा 194झक के अधीन की गई है। एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर									
2	विक्रय गिरावट से									
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	2 क (प्ररूप 3 गड़क का 5)							
	ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति	2 ख (प्ररूप 3 गड़क का 6 (ड)							
	ग	शेन (2 क - 2 ख)	2 ग							
	घ	धारा 54ङ ग/54च के अधीन कटौती (नीचे मद	2 घ							
ड	गिरावट विक्रय से दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (2 ग -2 घ)								ख 2	
3	बन्द पत्र या डिवेन्चर से के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूँजी सूचीबद्ध बन्ध पत्रों									
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	3 क							
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ								
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i							
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii							
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii							

		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	शेन (3 क - ख iv)	3 ग	
	घ	धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरो	3 घ	
	ङ	बन्ध पत्रों या डिवेन्चर पर एस टी सी जी (3 ग - 3 घ)		ख 3
4	(i)	सूचीबद्ध प्रतिभूतियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र जहां धारा 112 (1) का परंतुक लागू है (ii) धारा 115 क ग क में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का		
	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	4 क	
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	शेन (4 क - ख iv)	4 ग	
	घ	धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरो	4 घ	
	ङ	उपर ख 4 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (4 ग - 4 घ)		ख
5		किसी कंपनी में साम्यशेयरों के विक्रय या साम्यउन्मुख निधि की युनिटों या किसी कारबार न्यास की युनिट की बिक्री जिसमें धारा 112 क के अधीन		
	क	धारा 112 क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची	5 क	
	ख	धारा 54 च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में	5 ख	
	ग	ऊपर ख 5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		ख 5 ग
6		अनिवासियों के लिए - भारतीय कम्पनी के शेयरों या डिवेन्चर के विक्रय से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ गणना की जाए)		
	क	सूचीकरण फायदे के बिना गणना की गई एलटीसीजी	6 क	
	ख	धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरो	6 ख	
	ग	शेयर या डिवेन्चर पर एलटीसीजी (6 क - 6 ख)		ख 6 ग
7		सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिटों या शून्य कूपन बंधपत्र जहां धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू है (सूचीकरण कायदे के बिना 10 प्रतिशत की दरपर कराधेय (ii) धारा 115 क ग क में निर्दिष्ट भारतीय कंपनी का न जी टी आर के विक्रय से		
	क	i प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित		
		क कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध	i क	
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख	
	ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत	i ग	
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
	iii	कुल (i ग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियमों के नियम 8 क ख से साथ पठित के अनुसार कटौती	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख ii	
	iii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख iii	
	iv	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iv	
	v	योग (ख i + ख ii + ख iii + ख v)	ख v	
	ग	शेन (क iii - ख v)	7 ग	
	घ	धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरो	7 घ	
	ङ	अनिवासियों के मामले में उपर 7 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		ख
8		अनिवासियों के लिए - किसी कारबार न्यास के किसी कंपनी में साम्य शेयरों या किसी साम्य उन्मुख निधि के यूनिटों या किसी न्यास की यूनिटों का विक्रय		
	क	धारा 112 क के अंतर्गत एलटीसीजी	8 क	
	ख	धारा 54 च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में	8 ख	
	ग	ऊपर ख 8 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय से दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (8 क -		ख 8 ग
9		अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय से (यदि अध्याय 7 क के अधीन		
	क	विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी (9 क	
	ख	धारा 115 च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ	9 ख	

				ग	विनिदि-ट आस्ति के विक्रय पर शे-1 एलटीसीजी (9 क - 9 ख)	ख 9
				घ	विनिदि-ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर	9 ग
				ङ	धारा 115घ के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ	9 ङ
				च	विनिदि-ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर शे-1 एलटीसीजी (9घ - 9 ङ)	ख 9
10	उपर जहां ख -1 से ख -9 तक लागू नहीं है वहा आस्तियों के विक्रय से					
	क	आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करे				
	क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर की पूर्ण मूल्य	क			
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख			
	ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ग			
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii			
	iii	कुल (ग + ii)	क iii			
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ				
	i	अधिनियम की धारा 48 के खंड(III) नियमों के नियम 8कख से साथ पठित के अनुसार कटौती	ख i			
	ii	अधिग्रहण की लागत	ख ii			
	iii	अधिग्रहण के साथ अधिग्रहण की लागत	ख iii			
	iv	उन्नति की लागत	ख iv			
	v	उन्नति वर्ष	ख v			
	vi	सूचीकरण के साथ उन्नति लागत	ख vi			
	vii	हस्तांतरण के संबंध में पूर्ण एवं अनन्य रूप से व्यय	ख vii			
	viii	योग (ख i + ख iii + ख vi + ख vii)	खviii			
	ग	शे-1 (10 क iii - ख viii)				
	घ	धारा 54 घ / 54 च /54 छ /54 ज के अधीन कटौती (मद घ में ब्यौरे विनिदि-ट करें)				
	ङ	उपर ख 10 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (10ग - 10घ)				
			ख	10ङ		
11	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि					
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूँजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूँजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं				
	क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियाँ अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियाँ अर्जित/निर्मित की गई है	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि	
	i	2017-18	54/54घ/54छ/54जक			
	ii	2018-19	54ख			
	ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि				
	ग	अधिनियम की धारा 45(4) धारा 9ख के साथ पठित के अनुसार दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ की मानी गई राशि				
		दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+xi+ख+ग)				
12	दीर्घावधि पूँजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरे)(ख12क1+ख12क2+ख12ख)					
	क1	दीर्घावधि पूँजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभाय				ख12क1
	क2	धारा112के अंतर्गत के अतिरिक्त धाराओं के अंतर्गत दीर्घावधि पूँजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभाय				ख12क2

ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 20% की दर से प्रभार्य	ख12ख	
13	एलटीसीजी की रकम जो मद ख1 से ख12 में सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अनुसार कर के लिए प्रभार्य या विशेष दरों पर प्रभार्य नहीं है		
	क्रम सं.	आय की रकम	उपर मद सं. ख 1 से ख 12 जिसमें सम्मिलित है
			देश का नाम और कोड
			डीटीएए की वस्तु
			संघि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है, तो शून्य दर्ज करें)
			यदि टी आर सी प्राप्त हो
			आई टी अधिनियम की धारा
			आई टी अधिनियम के अनुसार दर
			लागू दर [(6) या (9) के नीचे]
	(1)	(2)	(3)
	(4)	(5)	(6)
	(7)	(8)	(9)
	(10)		
	I		
	II		
क	डीटीएए के अधीन एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि		
	ख13क		
ख	डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभार्य एलटीसीजी की कुल रकम		
	ख13ख		
14	आयकर अधिनियम के अधीन प्रभार्य कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (ख1ड + ख2ड + ख3ड + ख4ड + ख5घ + ख6ग + ख7ड + ख8घ + ख9ग + ख9घ + ख10ड + ख11 + ख12 - ख13क)		
	ख14		
ग	“पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 10 + ख 14) (शून्य के रूप में ख 14 ले यदि हानि है)		
	ग		
घ	पूँजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती के बारे में सूचना		
1	धारा 54/54 ख/54 घ/ 54ङग/54 च/54 छ/54 छक/54छ ख/115 च के अधीन कटौती के मामलों में निम्नलिखित व्योरे दें		
क	धारा 54 के अधीन दावाकृत कटौती		
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष
ii	नये आवासीय घर की लागत	क ii	
iii	नए आवासीय घर के क्रय/विनिर्माण की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	क iv	
v	दावाकृत कटौती की रकम	क v	
ख	धारा 54ख के अधीन दावाकृत कटौती		
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष
ii	नये कृषि भूमि की लागत	ख ii	
iii	नए कृषि भूमि के क्रय की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ख iv	
v	दावाकृत कटौती की रकम	ख v	
ग	धारा 54घ के अधीन दावाकृत कटौती		
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष
ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि या भवन के क्रय/विनिर्माण की लागत	ग ii	
iii	नए भूमि या भवन के क्रय/विनिर्माण की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ग iv	
v	दावाकृत कटौती की रकम	ग v	
घ	धारा 54ङग के अधीन दावाकृत कटौती		
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घ i	दिन/मास/वर्ष
ii	विनिर्दिष्ट अधिसूचित बंधपत्र में विनिहित की गई रकम	घ ii	
iii	विनिधान की तारीख	घ iii	दिन/मास/वर्ष
iv	दावाकृत कटौती की रकम	घ iv	

ड		धारा 54 च के अधीन दावाकृत कटौती	
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ड i	दिन/मास/वर्ष
ii	नये आवासीय घर की लागत	ड ii	
iii	नए आवासीय घर के क्रय/विनिर्माण की तारीख	ड iii	दिन/मास/वर्ष
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ड iv	
v	दावाकृत कटौती की रकम	ड v	
च		धारा 54छ के अधीन दावाकृत कटौती	
i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	च i	दिन/मास/वर्ष
ii	नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	च ii	
iii	शहरी क्षेत्र से भिन्नक्षेत्र में नई आस्ति के क्रय / विनिर्माण की तारीख	च iii	दिन/मास/वर्ष
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	च iv	
v	दावाकृत कटौती की रकम	च v	
छ		धारा 54छक के अधीन दावाकृत कटौती	
i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	छ i	दिन/मास/वर्ष
ii	विशेष आर्थिक जोन में नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	छ ii	
iii	विशेष आर्थिक जोन में आवासीय घर के क्रय विनिर्माण की तारीख	छ iii	दिन/मास/वर्ष
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	छ iv	
v	दावाकृत कटौती की रकम	छ v	
ज		धारा 115च के अधीन दावाकृत कटौती (अनिवासी भारतीय के लिए)	
i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अर्जन की तारीख	ज i	दिन/मास/वर्ष
ii	नए विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाण पत्र	ज ii	
iii	विनिहित की तारीख	ज iii	दिन/मास/वर्ष
iv	दावाकृत कटौती की रकम	ज iv	
झ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ड + 1च + 1छ + 1ज)	1 झ	

2 धारा 54 छ ख की अधीन कटौती की दशा में कम्पनी का पेन भरें

उ										
चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ग की पूंजी हानि का मुजरा (क-8 और ख-12 में सम्मिलित डीटीएए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)										
क्रम सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ग का पूंजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरें)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			मुजराई के पश्चात् चालू वर्ग का अतिशेष पूंजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दरें	10%	20%	डीटीएए दरें	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	बट्टे खाते में डाली जाने वाली पूंजी हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब शमन किए गए अंक नकारात्मक हों)		(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क1+ अ8क2*)	अ5ड * + अ8ख*	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ड*+ आ5ग*+ आ7ड*+ आ8ग*+ आ9ग*+ आ12क1+ आ12क2)	(आ1ग*+ आ2ड*+ आ3ड*+ आ6ग*+ आ9च*+ आ10ड*+ आ11*+ आ12ख*)	आ11उख	
ii	अल्पकालिक पूंजी	15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क1+ अ8क2*)							

iii	अभिलाभ	30%	अ5ड* + अ8ख*							
iv		लागू दर	(अ1ड* + अ2ग* + अ4ख* + अ6छ* + अ7* + अ8ग*)							
v		डीटीएए दरें	अ9ख*							
vi		10%	आ4ड* + आ5ग* + आ7ड* + आ8ग* + आ9ग* + आ12क1 + आ12क2)							
Vii	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	20%	(आ1ग* + आ2ड* + आ3ड* + आ6ग* + आ9च* + आ10ड* + आ11* + आ12ख*)							
Viii		डीटीएए दरें	आ13ख							
Ix	कुल हानि मुजरा (ii+iii+iv + v + vi+vii+viii)									
x	मुजरा के पश्चात् शेन हानि (i - ix)									
इस तालिका में एस्टीसीजी के आंकड़े(क1ड* आदि) एस्टीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित कॉलम (क1 से क 9) में एस्टीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीएए के अनुसार कर प्रभाय नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभाय है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।										
इस तालिका में एलटीसीजी के आंकड़े(ख1ड* आदि) एलटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित कॉलम (ख1 से ख13) में एलटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीएए के अनुसार कर प्रभाय नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभाय है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।										
ऊ	पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख			15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)		
1	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 vi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं									
2	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 vii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं									
3	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 viii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं									
4	डीटीएए दरों पर कर से प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची वीएफएलए की मद 6 का मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों									
5	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 x से मूल्य भरें, यदि कोई हैं									
6	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची खचठक की मद 5 xi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं									

7	डीटीएए दरों की दर पर कर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची वीएफएलए की मद 5xii का मूल्य दर्ज करें					
टिप्पण	कृपया विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) जिन्हें इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते हुए अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट किया गया है।					

अनुसूची-अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)			1	
	क	लाभांश, सकल		1क	
	i	धारा 2(22)(ड) के तहत लाभांश आय	का		
	ii	(i) के अलावा लाभांश आय	कii		
	ख	ब्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii + खix)		1ख	
	i	बचत खाते से	खi		
	ii	जमा (बैंक / डाक घर / सहकारी सोसायटी) से	खii		
	iii	आय-कर प्रतिदाय से	खiii		
	iv	पास धु आय की प्रकृति की आय में	खiv		
	v	धारा 10(11) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खv		
		10(12)			
	vi	धारा 10(11) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvi		
	vii	धारा 10(12) के प्रथम परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खvii		
	viii	धारा 10(12) के द्वितीय परंतुक के अनुसार कर योग्य सीमा तक भविष्य निधि में योगदान पर अर्जित ब्याज	खviii		
	ix	अन्य	खix		
	ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय		1ग	
	घ	धारा 56(2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)		1घ	
	i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घi		
	ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii		
	iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii		
	iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv		
	v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv		
	ङ	कोई अन्य आय (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		1ङ	
	क्र.सं.	प्रकृति		राशि	
	1	परिवार पेंशन			
	2	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय			
	3	अधिसूचित देश(2) के अतिरिक्त के तहत देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से आय			
		आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है।			
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ + 2च क्रम सं.1 से संबंधित)			2	
	क	धारा 115खख के अधीन लाटरी, वर्ग पहेली आदि से जीत से आय		2क	
	ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)		2ख	
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi		
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii		
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii		

	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv	
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv	
	vi	धारा 69घ के अधीन हंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi	
ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष			2ग
	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (घ; से घxix का योग)			2घ
	i	अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी जो धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य है, द्वारा प्राप्त लाभांश	घi	
	ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकारी या विदेशी समुत्थान से विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्राप्त ब्याज	घii	
	iii	धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	घiii	
	iv	धारा 194ठग(1) में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकक) @5% के अधीन प्रभार्य	घiv	
	v	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य	घv	
	vi	वितरित आय जो ब्याज है, जिसे धारा 194ठखक में निर्दिष्ट किया गया है - धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	घvi	
	vii	यूटीआई की यूनिटों या धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधियों जिन्हें विदेशी मुद्रा में क्रय किया गया है, से आय - धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	घvii	
	viii	सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय - धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अंतर्गत प्रभार्य	घviii	
	ix	बंधपत्रों से ब्याज या लाभांश के माध्यम से या अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से आय - धारा 115कग के अधीन प्रभार्य	घix	
	x	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय	घx	
	xi	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से लाभांश के माध्यम से आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य	घxi	
	xii	प्रतिभूतियों के संबंध में किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय (लाभांश से भिन्न) - धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य	घxii	
	xiii	धारा 115कघ(1)(i)के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा विनिर्दिष्ट द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	घxiii	

	xiv	एफ.आई.आई द्वारा बंधपत्रों या धारा 194 ठग में निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से आय - धारा 115कघ(1)(i) के परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घxiv								
	xv	अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर - धारा 115खकक के अधीन प्रभार्य	घxv								
	xvi	कतिपय मामलों में अनाम संदान - धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य	घxvi								
	xvii	धारा 115क(1)(अ)(iiaa) के तहत प्रभार्य 4 प्रतिशत की दर से धारा 194 थग(1) के परंतुक में संदर्भित ब्याज	घxvii								
	xviii	विकसित और भारत में रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से स्वामिस्व के माध्यम से आय - धारा 115खखच के अधीन प्रभार्य	घxviii								
	xix	कार्बन क्रेडिट के अंतरण के माध्यम से आय - धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य	घxix								
	xx	धारा 115कघ(1)(i)के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा एफ आई आई द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	घxx								
	xxi	धारा 115कघ(1)(i)के तहत प्रभार्य धारा 115कख में संदर्भित इकाईयों के अलावा विनिर्दिष्ट द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्राप्त आय (लाभांश के अतिरिक्त)	घxxi								
	Xxii	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जीडीआर के लाभांश पर आय	घxxii								
ड	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्तंभों से आय की प्रकृति की पास थु आय (डापडाउन का उपबंध किया जाना है)									2ड	
च	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित रकम, जो डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य है (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) का योग)									2च	
	क्रम सं.	आय की रकम	मद सं. 1क से 1घ & 2 जिसमें सम्मिलित किया जाना है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख, 2घ, 2ड एवं 2च के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)										
	क(i)	व्यय/कटौतियां "ग" में इंदराज के अलावा (पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त मामलों में)					3क(i)				
	क(ii)	धारा 57(iiक) के अंतर्गत कटौती (केवल परिवार पेंशन के मामले में)					3क(ii)				
	ख	अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध जब "अनुसूची ओ.एस" की 1 ग में आय दी गई हो)					3ख				
	ग	धारा 57(1) के तहत लाभांश पर ब्याज व्यय (केवल तभी उपलब्ध जब 1(क) में प्रस्तावित आय-मूल्य इंदराज					3ग				
	ग i	धारा 57(1) के तहत योग्य ब्याज व्यय - कलित राशि					3ग i				
	घ	योग					3घ				

4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	4	
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	5	
5क	धारा 89क के तहत कराधान से राहत के लिए आय का दावा	5क	
6	साधारण लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रों से शुद्ध आय [1 (डीटीए अंश से संबंधित आय को घटाने के बाद) - 3 + 4 + 5 - 5क] (यदि ऋणात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए के 3xi को अंक ले जाए	6	

7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)						7	
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय							
	क	प्राप्तियां	8क					
	ख	केवल 8क में प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख					
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
	ङ	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्टि करे)	8ङ					
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)						9	
10	प्रौद्भूत / अन्य स्रोतों से आय की प्राप्ति के विषय में सूचना							
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	धारा 2(24)(ix) में संदर्भित लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पहेली, घुड़दौड़ खेल, जुआ, सट्टाबाजी से जीत पर आय						
	2	क्रम सं. 1a(i) में संदर्भित लाभांश पर आय						
	3	धारा 115क(1)(a)(i) के तहत 20% की दर से लाभांश आय (पी.टी.आई आय शामिल)						
	4	धारा 115कग के तहत 10% की दर से लाभांश आय						
	5	धारा 115गक (1)(a) के तहत 10% की दर से लाभांश आय(पी.टी.आई आय शामिल)						
	6	धारा 115A(1)(a)(ii)केग के तहत 10% की दर से ब्याज से वितरित आय (पी टी आई आय शामिल)						
	7	धारा 115कघ (1)(i) के तहत 20% की दर से धारा 115कघ(1)(i) में संदर्भित इकाईयों के अतिरिक्त एफ.आई.आई की लाभांश आय(पी.टी.आई आय शामिल)						

	8	धारा 89क के तहत अधिसूचित देश में रखा गया खाते में सेवानिवृत्ति लाभ से आय किंतु धारा 89 के तहत कराधान से राहत के लिए दावा नहीं					
	9	डी.टी.ए.ए.दरों पर प्रभार्य लाभांश आय					
टिप्पण ▶	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय को सम्मिलित करें						

अनुसूची
सी.वाई.एल.ए

चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न)कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरें यदि संगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची ज त का 4)	(अनुसूची ख त की मद ड का 2)	(अनुसूची ण द का 6)	
ii	वेतन	(अनुसूची ध का 6)				
iii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची ज त का 4)				
iv	कारबार से आय (विनिर्दिष्ट कारबार से सट्टा पर लाभ और आय को अपवर्जित करते हुए) या वृत्ति	(अनुसूची ख त का क38)				
v	सट्टाबाजी से आय	(अनुसूची ग छ की मद ड का 3 ii)				
vi	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची ग छ की मद ड का 3 iii)	-			
vii	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9 ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9iv)				
x	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9vii)				

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन

xiii	डीटीए के अनुसार भारत के में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची ग ङ की मद ड का 9viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्थ अन्य खोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ण ध का 6)				
xv	दौड के घोडों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ण ध का 8 ड)				
xvi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य खोतों से आय	(अनुसूची ण ध का 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि (i - xvii)					

अनुसूची बी.एफ.एल.ए

पूर्वतर वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरें

क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	अनुसूची ग म ठ क 5 के अनुसार (चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय यदि कोई है)	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यहास का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ii)				
ii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iii)	(ख / च गृह संपत्ति हानि)			
iii	कारबार आय (सट्टेबाजी लाभ और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iv)	(ख / च कारबार हानि स ट ट ोबाजी से भिन्न या विनिर्दिष्ट कारबार हानि)			
iv	सट्टेबाजी से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 v)	(ख / च सामान्य कारबार या स ट ट ोबाजी से हानि)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vi)	(ख / च याविनिर्दिष्ट कारबार से हानि)			
vi	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची ग म ठ क का 5 vii)	(ख / च अल्पकालिक पूंजी हानि)			
vii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख / च अल्पकालिक पूंजी हानि)			
viii	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख / च अल्पकालिक पूंजी हानि)			
ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख / च अल्पकालिक पूंजी हानि)			
x	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xi)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि)			
xi	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xii)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि)			
xii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiii)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूंजी हानि)			

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन

xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य खोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)				
xiv	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(बुड़ दोड़ों से ख / च हानि)			
Xv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अन्य खोतों से कराधेय आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)				
xvi	अग्रनित मुजरा की गई हानि का योग (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2x + 2xi + 2xii + 2xiv)					
xvii	कुल का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv + 5xv)					

अनुसूची सी.एफ.एल भावी वर्षों में अग्रणीत की जाने वाली हानियों के ब्यौरे

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	प्रस्तुत करने की तारीख (ता / मास / वर्ष)	गृह संपत्तियों की हानि	अनामेलित अवक्षयण भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि से भिन्न कारबार से हानि			अनामेलित अवक्षयण भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	लघुअवधि पूंजी हानि	दीर्घअवधि पूंजी हानि	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और अनुरक्षण से हानि
				कारोबार हानि अग्रणीत	धारा 115 खकग के तहत कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	वर्ष के दौरान उपलब्ध करोबार हानि के लिए मुजरा अग्रणीत					
1	2	3	4	5क	5ख	5ग=5क-5ख	6	7	8	9	10
i	2010-11										
ii	2011-12										
iii	2012-13										
iv	2013-14										
v	2014-15										
vi	2015-16										
vii	2016-17										
viii	2017-18										
ix	2018-19										
x	2019-20										
xi	2020-21										
xii	2021-22										
xiii	पिछले वर्ष में हानि का कुल										
xiv	अनुसूची अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)		(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)	(अनुसूची बीएफएलए का 2v)				(अनुसूची बीएफएलए का 2xiv)
xv	2022-23 (चालू वर्ष हानियों को अग्रणीत)		(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii)		(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)	(अनुसूची वीपी का ख43, यदि ve)	(अनुसूची वीपी का ग49, यदि ve))	(2x + 3x + 4x + 5x) अनुसूची सीजी के मद ड)	(6x + 7x + 8x) अनुसूची सीजी के मद ड)	(अनुसूची ओएस का 8इ यदि - वीई)	

हानियों का अग्रनयन

xv	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि								
----	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

अनुसूची अ.अ

धारा 35(4) के अधीन अनुवशोषित क्षयण और भत्ते

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण				धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	धारा 115खकग के अधीन कराधान के लिए समायोजित रकम का विकल्प	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया
(1)	(2)	(3)	(3क)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष							
ii								
iii								
iv								
v	योग			(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा.

लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क-णछ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क.	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची - 10कक धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती					
	क्र.स	उपक्रम	वह निश्चरण वर्ष जिसमें यूनिट विनिर्माण उत्पादन / सेवा प्रदान करना आरम्भ करती है	क्र.स		कटौती की रकम
	क	उपक्रम संख्या 1		क		(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 च के उपाबंध क की मद 17)
	ख	उपक्रम संख्या 2		ख		(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 च के उपाबंध क की मद 17)
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौती (क+ ख)			ग	

अनुसूची 80छ धारा 80 छ के अधीन कटौती के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौती के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	
				नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	
				नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम		
			नकद में संदान	अन्य रूप में रकम	कुल संदान		
	i						
	ii						
	iii	कुल					
घ	अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम		

		नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
i					
ii					
iii	कुल				

80झझक अनुसूची (फर्म के भागीदार के मामले में जो फर्म से केवल लाभ व्युत्पन्न करता हो)

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान के ब्यौरे

क्र सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैन	संदान की रकम			संदान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची द क

अनुसंधान संगमों को संदान के ब्यौरे आदि [धारा 35 (1)(ii)या 35 (1) (iiक) या 35 (1) (iii) 35(2कक) के अधीन कटौतियां संदान की पात्र रकम]

आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	संदान की रकम			संदान की पात्र रकम
		नकद संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
i					
ii					
iii	कुल				

अनुसूची - 80झक

धारा 80झक के अधीन कटौतियां

क	धारा 80झक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियां (विद्युत)	क 1	उपक्रम संख्या 1 (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		क 2	उपक्रम संख्या 2 (उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
ख	धारा 80झक के अधीन कुल कटौतियां (क1 + क2)			ख

अनुसूची-80- झख

धारा 80झख के अधीन कटौतियां

धारा 80झख के अधीन कटौतियां	क	जम्मू-कश्मीर या लद्दाख में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियां [धारा 80झख(4)]	क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)
			क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)
	ख	मल्टीप्लैक्स थिएटरों की बाबत कटौतियां [धारा 80झख(7 क)]	ख 1	उपक्रम संख्या 1	[उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)]
			ख 2	उपक्रम संख्या 2	[उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)]
	ग	पारंपरिक केन्द्रों की बाबत कटौतियां [धारा 80झख(7ख)]	ग 1	उपक्रम संख्या 1	[उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)]
			ग 2	उपक्रम संख्या 2	[उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v)]
	घ	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ	घ 1	उपक्रम संख्या 1	उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)

	कर देते हैं कटौतियाँ [धारा 80झख(9)]	घ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ङ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं [धारा 80झख(10)]	ङ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		ङ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
च	पड्डुलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ [धारा 80झख(11क)]	च 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		च 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
छ	खाद्यानों, उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती [धारा 80झख(11 क)]	छ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		छ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ज	ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और रखरखाव में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ [धारा 80झख(11ख)]	ज 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		ज 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
झ	अन्य अपवर्जित क्षेत्रों के अलावा किसी क्षेत्र में किसी अस्पताल को चलाने और व्यवस्थित करने में लगे एक उपक्रम के मामले में कटौती [धारा 80झख(11ग)]	झ 1	उपक्रम संख्या 1	[प्ररूप 10 गगख ग का 11(v)]
		झ 2	उपक्रम संख्या 2	[प्ररूप 10 गगख ग का 11(v)]
ञ	धारा 80झख के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 से झ2 का योग)			

अनुसूची-80- झग और 80झङ

धारा 80झग और 80झङ के अधीन कटौतियाँ

धारा 80झख के अधीन कटौतियाँ	क	सिक्किम में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ	क1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद)
			क2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद)
	ख	हिमाचल प्रदेश में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ	ख1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद)
			ख2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद)
	ग	उतरांचल में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ	ग1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद)
			ग1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद)
	घ	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ			
	घक	असम	घक1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
			घक2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
	घख	अरुणचल प्रदेश	घख1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
			घख2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
	घग	मणिपुर	घग 1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
			घग 2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
	घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)
घघ2			उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
घङ	मेघालय	घङ 1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	

घच	नागालैंड	घड2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		घच1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		घच2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
घछ	त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		घछ2	उपक्रम संख्या	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
घज पूर्वोत्तर में अवस्थित कुल कटौतियों (घ का 1 से घछ 2 का योग)					
ड धारा 80झग के अधीन कुल कटौतियों (क + घ + ग + घज)					ड

अनुसूची-6 क अध्याय 6 क के अधीन कटौतियों

1	भाग ख- भ ख कतिपय संदायों की बावत कटौती				
क	80ग		ख	80गगग	
ग	80गगघ(1)		घ	80गगघ (1ख)	
ङ	80गगघ(2)		च	80घ	
छ	80घघ		ज	80घघख	
झ	80ङ		ञ	80ङङ	
ट	80ङङक		ठ	80ङङख	
ड	80छ		ढ	80छछ	
ण	80छछक		त	80छछग	
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क से त का योग)					
2	भाग ग - कतिपय आय / अन्य कटौती की बावत कटौती				
	थ	80- झक	(अनुसूची 80 झक का ड)		
	द	80- झकख			
	ध	80- झख	(अनुसूची 80 झख का ड)		
	न	80- झखक			
	प	80झग/ 80झङ	(अनुसूची 80 झग/80झङ का ड)		
	फ	80जजक			
	ब	80जजकक	(प्रपत्र 10 घक में अनुलप्रक में क्रम सं. 5/(अiv) +5II		
	भ	80 थथख			
	म	80 ददख			
भाग ग के अधीन कुल कटौती (थ से म का योग)					2
3	भाग गक और घ अन्य आय/अन्य कटौती के संदर्भ में कटौती				
i	80 ननक		ii	80ननख	
iii	80प				
भाग गक और घ के अधीन कुल कटौती (i, ii और iii का योग)					3
4	अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियों (1+2+3 का योग)				4

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 14 के अनुसार कुल आय	1	
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन		
		ड		
		80 झकख		
	क	शीर्ष ई के अधीन " कतिपय आय की बाबत कटौतियों "अध्याय ख-अ में किसी भी धारा के अधीन कटौती का दावा सम्मिलित है	2क	
	ख	धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा	2ख	
	ग	धारा 35कघ के अधीन आस्तियों पर अवक्षयण की रकम, जिस पर कटौती का दावा किया गया है, के रूप में की गई है	2ग	
	घ	कुल समायोजन (2क + 2ख + 2ग)	2घ	
	3	धारा 115जग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2घ)	3	
	3क	धारा 115जग(1) के अधीन आई एक एस सी में स्थित इकाईयों से समायोजित कुल आय, यदि कोई हो	3क	
3ख	धारा 115जग(1) के अधीन इकाईयों (3-3क) के अलावा समायोजित कुल आय	3ख		
4	धारा 115जग(1) के अधीन देय कर [(9% of (3क)+ 18.5% of (3ख)] (अगर 3 बड़ा हो. 20 लाख रू. से)	4		

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2022-23 (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर	1			
2	निर्धारण वर्ष 2022-23 (भाग-ख-कुल कर आय का 4) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर	2			
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें	3			
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)				
क्र.सं	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा		चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ) = (ख3)-
		सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3) उ(ख1)-(ख2)	

						(ग)
I	2013-14					
Ii	2014-15					
Iii	2015-16					
Iv	2016-17					
V	2017-18					
Vi	2018-19					
Vii	2019-20					
Viii	2020-21					
Ix	2021-22					
x	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)					
xi	योग					
5	वर्ष के दौरान धारा 115घ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट					5
6	पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल ट					6

अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय

विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय (पति/पत्नी, अव्यस्क बालक आदि) निर्धारितियों की धारा 64 के अनुसार आय में शामिल है। (अव्यस्क बालक की आय यदि प्रति बालक 1500 रुपये से अधिक है तो शामिल की जाय)

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी लेखा सं./ आधार संख्या	नातेदारी	रकम	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित है
1					
2					
3					

अनुसूची विशेष दर विशेष दरों पर कर पर प्रभार्य आय (कृपया कर की दर के लिए अन्यदेश संख्या 7 देखें)

क्रम सं.	धारा	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
1	111- पूर्व के वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष	<input checked="" type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2गiii)	(अनुसूची ओ.एस का 2गiv)
2	111क या 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर यूनिटों पर एस.टी.सी.जी जिस पर जहा एस.टी.टी पेय संदत्त है)	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi का भाग)	
3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहा एस.टी.सी.जी संदत्त नहीं है)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)	
4	112 परन्तुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
5	112(1)(ग)(iii) (गैरसूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
6	115कग (बंधपत्रों/जी.डी.आर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)	
7क	115कग (विदेशी करसी में क्रम किए गए बंधपत्रों या जी.डी.पी आर से अनिवासी की आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण ध के 2घix का भाग)	
7ख	धारा 115कग के तहत प्रभार्य अनिवासी द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बांड अथवा जी.डी.आर के लाभांश पर आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण ध के 2घxxi का भाग)	

8	115कगक (जी.डी.आर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)
9	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)
10	112(अन्य पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5xi का भाग)
11	112क या धारा115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर या इकाईयां जिन पर एस.टी.टी संदत्त है के विक्रय पर एल.टी.सी.जी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए का 5x)
12	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ एस.टी.सी.जी	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ix का भाग)
13	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ एल.टी.सी.जी	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xii का भाग)
14	115खख (लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण.ध के 2क का भाग)
15	115खखड(धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन)	<input type="checkbox"/>	60	(अनुसूची ण.ध के 2ख का भाग)
16	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)			
	क कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ख.त का 3ड)
	ख अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण.ध का 2घxvi)
17	115खखछ(कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कर)			
	क मुख्य कारबार या वृत्ति के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ख.त का 3च)
	ख अन्य मुख्य स्रोतों के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण.ध का 2घxvii)
18	115क(1)(ख) (क) & 115क(1)(ख)(ख) (रोयलि ट ाळ से अनिवासी की आय)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण.द के 2घviii का भाग)
19	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ अन्य स्त्रोतों से आय	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ण.ध के 2च का भाग)
20	धारा 111क या 111क के अलावा 15% की दर से प्रभार्थ लघुकालिक पूंजीगत लाभ की प्रकृति के रूप में आय से गुजरना	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vi का भाग)
21	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर होगा 30% की दर पर प्रभार्थ	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5vii का भाग)
22	दीर्घवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्थ	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5x का भाग)
23	दीर्घवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्थ		10	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5ix का भाग)
24	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर 20% की दर पर प्रभार्थ होगा	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बी.एफ.एल.ए के 5xi का भाग)
25	अन्य स्त्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्थ होगा (ई-फाइलिंग घुटिलिटी में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ण.ध का 2ड)
			योग	

अनुसूची-आईएफ उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिनमें आप भागीदार हैं

क्र.सं.	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं						
	फर्म का नाम	फर्म का स्थायी लेखा संख्याक	क्या फर्म लेखा परीक्षा के लिए दायी है (हां या नहीं)	क्या धारा 92ड फर्म पर लागू है? (हां / नहीं)	फर्म के लाभ में शेयरों की प्रतिशतता	लाभ में शेयर की रकम	31. मार्च को फर्म में पूंजी अतिशेष
						i	ii
1							
2							
3							
4							
5							
6	योग						

अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय का व्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय या जो कर के लिए प्रभार्य न हो)

1	ब्याज से आय						1	
2	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)				i		
	ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii		
	iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि				iii		
	iv	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 (अनुसूची बीपी की क्र.सं. 39)				iv		
	v	वर्ष i-ii-iii (के लिए शुद्ध कृषि आय) यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें (2	
	vi	5लाख रु. से अधिक की शुद्ध कृषि आय होने की दशा में, कृपया निम्नलिखित व्यौरों दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथकतया व्यौरें भरें)						
		क	जिले का नाम पिन कोड सहित जिसमें कृषि भूमि स्थित है					
		ख	एकड़ में कृषि भूमि की पैमाइश					
		ग	क्या कृषि भूमि स्वामित्व में है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)					
		घ	क्या कृषि भूमि सिंचाई पर है या वर्षा के पानी पर निर्भर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)					
3	अन्य छूट प्राप्त आय (नाबालिग बच्चे की आय पर छूट भी सम्मिलित है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						3	
4	डीटीएए के अनुसार आय जो कर प्रभार्य नहीं है							
5	क्रम. सं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टी आर सी अभिप्रमाणित किया गया है (हां/नहीं)	
	I							
	II							
	III	डीटीएए से कुल आय जो कर प्रभार्य नहीं है						
6	कोई और आय कर प्रभार्य नहीं हैं, (अनुसूची पीटीआई)						5	
6	योग (1+2+3+4+5)						6	

अनुसूची पीटीआई

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के व्यौरें

क्रम	धारा 115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि(7-8)	ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती, यदि कोई हों	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	(ड्रॉप-डाउन दिया जाए)			i	गृह संपत्ति					
				ii	पूंजी अभिलाभ					
				क	अल्पकालिक अवधि					
				का	धारा 111क					
				काii	अन्य					
				ख	दीर्घकालिक अवधि					
				खा	धारा 112क					
				खाii	धारा 112क के अलावा अन्य					
				iii	अन्य खोत					
				क	लाभांश					
				ख	अन्य					
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
				क	धारा 10(23खख) के अधीन					
				ख	धाराके					

2.						अधीन						
						ग	धारा.....के अधीन					
						i	गृह संपत्ति					
						ii	पूँजी अभिलाभ					
						क	अल्पकालिक अवधि					
							का	धारा 111क				
							काii	अन्य				
							ख	दीर्घकालिक अवधि				
							खा	धारा 112क				
						खाii	धारा 112क के अलावा अन्य					
							iii	अन्य स्रोत				
						क	लाभांश					
						ख	अन्य					
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी					
						क	धारा 10(23चख) के अधीन					
							ख	धाराके अधीन				
							ग	धारा.....के अधीन				

टिप्पण ▶ इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची टी.पी.एस.ए		ई-फाईलिंग उपयोगिता में प्रदत्त अनुसूची के अनुसार, धारा 92 खड (2क)के अनुसार कर के द्वितीयक समायोजन का विवरण						
धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और एस अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है						
	2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा					
		ख	“क” पर 12% की दर से अधिभार					
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर					
	घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)						
	3	भुगतान किए गए कर						
	4	निवल देय कर (2घ-3)						
	5	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख 1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)
	6	बैंक और शाख का नाम						
7	बीएसआर कोड							
8	चालान की क्रम संख्या							
9	जमा की गई राशि							

अनुसूची आय के विदेशी स्रोत भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

भारत से बाहर आय और कर राहत	क्र. सं.	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	क्र. सं.	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय भाग ख - टाळाई में सम्मिलित	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ङ)= (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	डी ट ाळाए का सुसंगत अनुभेद यदि धारा 90 या 90 क के अधीन राहत का दावा किया गया है
					(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(घ)	(च)
	1				i	वेतन				
				ii	गृह संपत्ति					

2			iii	कारबार या वृत्ति					
			iv	पूजी अभिलाभ					
			v	अन्य स्रोत					
			योग						
			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
2			iii	कारबार या वृत्ति					
			iv	पूजी अभिलाभ					
			v	अन्य स्रोत					
			योग						
			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें ।

अनुसूची- टि.आर

भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावाकृत कर राहत सार का ब्यौरा (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत	1	दावाकृत कर राहत के ब्यौरे				
		देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत के बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड) का योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 को विनिर्दिष्ट करें)
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)
		योग				
2	उस देश की बाबत जहां डीटीए लागू है, उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90 / 90 क) (1 (घ) के योग का भाग)				2	
3	उस देश की बाबत जहां डीटीए लागू नहीं है, उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 91)((1 (घ) के योग का भाग)				3	
4	क्या भारत के बाहर किसी संदत्त कर जिसपर भारत में कर रहात अनुज्ञात की गई है, वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा प्रतिदाय / जमा की गई है ? यदि हां तो नीचे ब्यौरे दें				4	हां / नहीं
	क	कर प्रतिदाय की रकम		ख	निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है	

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें ।

अनुसूची- वि.आ.

भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे	अ1	धारित विदेशी निक्षेपागार खातों का विवरण (अन्य लाभकारी व्याज शामिल) लेखांकन अवधि के दौरान किसी समय पर [कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसंबर) वित्त वर्ष के बजाय (अप्रैल से मार्च)]										
	क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते में संदत्त या जमा सकल व्याज
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(i)												
(ii)												
आ2	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी अभिरक्षा खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थानों का नाम	वित्तीय संस्थानों का पता	जिप कोड	खाता सं.	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंत अतिशेष	अवधि के दौरान खाते से संदत/प्रत्यय सकल रकम (ड्राउन डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि ब्याज/वामांश/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
आ3	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई द्वारा धारित विदेशी साधारण और ऋण ब्याज के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	इकाई का नाम	इकाई का पता	जिप कोड	इकाई की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान अधिकतम अतिशेष	अंतमूल्य	अवधि के दौरान धृति के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय से कुल सकल आगम या निवेश का कुल सकल मोचन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
आ4	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी नकद मूल्य बीमा संविदा या वार्षिकी संविदा के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था जिसमें बीमा संविदा की गई का नाम		वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पित मूल्य	अवधि के दौरान संविदा के संबंध में संदत्त या जमा सकल रकम			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												
ख	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी इकाई में धारित वित्तीय हित के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे / फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
ग	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			

									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ङ	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।											
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।											
क्र. सं०	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है											

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

टिप्पण

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यपटि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची 5क पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच में आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी

पति या पत्नी का नाम						
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्यांक / आधार						
क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 44कख के तहत लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के तहत धारा 44 कख के अंतर्गत लेखा-परीक्षण आवश्यक है।						हाँ/नहीं
क्या पति/पत्नी के खातों की बही का धारा 92 अ के तहत लेखा परीक्षण किया गया है? अथवा क्या आपके पति/पत्नी ऐसी फर्म में भागीदार है जिसके खातों का इस अधिनियम के तहत धारा 92अ के अंतर्गत लेखा-परीक्षण आवश्यक है।						हाँ/नहीं
	आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त प्राप्तियां	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित रकम	(ii) की आय पर कटौती किए गए टाळडीएस की रकम	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित टाळडीएस	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	गृह संपत्ति					
2	कारबार या वृत्ति					
3	पूँजी अभिलाभ					
4	अन्य स्रोत					
5	योग					

अनुसूची क.ठ वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (भाग क-खध में अंतर्गत से भिन्न) (उस दशा में जहां कुल आय 50 लाख रु0 से अधिक है, लागू होती है)

आस्ति और दायित्व के विवरण	क	स्थायर आस्ति का ब्यौरा			
	क्रम सं0	विवरण	पता	पिन कोड	रकम (लागत) रु0 में
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	ख	जंगम आस्ति का ब्यौरा			
	क्रम सं0	विवरण			रकम (लागत) रु0 में
	(1)	(2)			(3)
	(i)	आभूषण, बुलियन आदि			
	(ii)	पुरातात्विक संग्रहण, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति			
(iii)	वाहन, नौका, नाव और वायुयान				
(iv)	वित्तीय आस्ति			रकम (लागत) रु0 में	
(क)	बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमा रशियां)				

	(ख) शेयर और प्रतिभूतियां		
	(ग) बीमा पॉलिसी		
	(घ) ऋण और दिए गया अग्रिम धन		
	(ङ) हाथ नकदी		
ग	भागीदार या सदस्य के रूप में किसी फर्म या व्यक्तियों का संगम (एओपी) की आस्तियों में धारित ब्याज		
क्रम सं०	फर्मों / एओपी का नाम और पता	फर्म / एओपी का स्थायी खाता संख्या	लागत के आधार पर फर्म / एओपी में निर्धारिती का विनिवेश
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)			
(ii)			
घ	आस्तियों (क+ख+ग) के संबंध में दायित्व		

टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें।

अनुसूची जी.एस.टी जी.एस.टी के लिए रिपोर्टित आवर्त/ सकल प्राप्तियों के संबंध में सूचना

क्रम सं.	जी.एस.टी आई एन संख्या	फाईल की गई जी.एस.टी विवरणी के अनुसार बाह्य पूर्ति का वार्षिक मूल्य
(1)	(2)	(3)

टिप्पण कृपया प्रत्येक जी.एस.टी.आई.एन सं. के लिए पृथक रूप से उपर सूचना प्रस्तुत करें।

अनुसूची : ई एस ओ पी पर कर स्थगन

कर स्थगन से संबंधित सूचना- कर स्थगन से संबंधित सूचना धारा 17(2)(vi) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त आय में जोड़ा जाने वाला अनुलाभ, धारा 80-दकग में संदर्भित स्टार्ट-अप होने के नाते

विवरण	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	कर स्थगन की राशि पूर्ववर्ती निर्धारण से आगे लायी गई	गत वर्ष के दौरान प्रासंगिक चालू निर्धारण वर्ष में से निम्नलिखित घटनाएं हुई हैं?			चालू निर्धारण वर्ष में कर योग्य राशि (स्तंभ 3 या 4 से कलन जैसा भी मामला हो)	अगले निर्धारण वर्षों में कर स्थगन की शेष राशि (स्तंभ 3-7)
				ऐसे निर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर बेचे गए (i) पूर्णतया (ii) आंशिक (iii) नहीं बेचे गए	नियोक्ता के कर्मी होने से वंचित जिसने ऐसे विनिर्दिष्ट प्रतिभूति अथवा स्वेट इक्विटी शेयर को आबंटित या हस्तांतरित किया ?	उक्त खंड में संदर्भित विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वेट इक्विटी शेयर उस प्रासंगिक निर्धारण वर्ष जिसमें शेयर आबंटित किए गए उसके अंत से अड़तालीस माह बीत चुके हैं, यदि हां, तिथि बताएं		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2021-22	नि.व. 2021-22 आई टी आर का क्रम सं. 8ख			(निर्धारण वर्ष 2026-27 में सक्षम) (भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 में देय)		

भाग - ख

भाग ख - कुल आय कुल आय की संगणना

1	वेतन (अनुसूची ध का 6)	1	
2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची-गृह संपत्ति का 4)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2	
3	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ		
i	स ट त ट ो के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-का.वृ. का क38)	3i	
ii	स ट त ट ो के कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (ii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)	3ii	
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (iii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3iii	
iv	विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय (अनुसूचि ख त के ड 3 और 3 च)	3iv	
v	योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (यदि 3v हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)	3v	
4	पूँजी अभिलाभ		
क	अल्पकालिक		
i	अल्पकालिक प्रभार्य @ 15% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 ii)	क i	
ii	अल्पकालिक प्रभार्य @ 30% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 iii)	क ii	
iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9iv)	क iii	
iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि ग छ के मद ड का 9v)	क iv	
v	अल्पकालिक योग (क i + क ii + क iii+ क iv)	4 क v	
ख	दीर्घकालिक		
i	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 10% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 vi)	ख i	
ii	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 vii)	ख ii	
iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची ग छ के मद ड का 9 viii)	ख iii	
iv	दीर्घकालिक योग (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	4ख iv	
ग	कुल पूँजी अभिलाभ (4 क v + 4 ख iv) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	4 ग	
5	अन्य स्रोतों से आय		
क	अन्य स्रोतों से शुद्ध आय सामान्य लागू दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची ण घ का 6 शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	5 क	
ख	विशेष दर पर कर को प्रभार्य आय (अनुसूचि ण ध का 2)	5 ख	
ग	घुडदोड के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से आय (अनुसूचि ण ध का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 ग	
घ	कुल (5 क + 5 ख + 5 ग) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 घ	
6	शीर्ष क्रय के अनुसार आय का कुल (1 + 2 + 3v +4 ग +5 घ)	6	

कुल आय

7	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गमठ क चालू वर्ष की हानि के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)	7	
8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् बकाया (6 - 7) (अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम संख्या (ii) से (xv)का योग + 5ख + 3iv)	8	
9	8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रणीत हानियां (अनुसूची खचठ क के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)	9	
10	सकल कुल आय (8-9) (और अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम संख्या (i) से (xiv) का योग+ 5ख + 3iv)	10	
11	धारा 111क, धारा 112, धारा 112क के अधीन विशेष दर पर कर प्रभार्य में 10 सम्मिलित है	11	
12	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ		
	क अनुसूची 6क का भाग ख, ग क और घ [अनुसूची 6क का (1+3) और (बीएफएलए का i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v5 + viii5 + xi5 + xii5) तक सीमित]	12क	
	ख अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का 2 और बीएफएलए का iii5 तक सीमित]	12ख	
	ग कुल (12क + 12ख) (10-11) तक सीमित	12ग	
13	धारा 10 क क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची 10 क क का ग)	13	
14	कुल आय (10 -12ग -13)	14	
15	आय जो 13 में सम्मिलित है और विशेष दर पर कर प्रभार्य है (अनुसूची विशेष दर के (i) का योग)	15	
16	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय / कोई अन्य आय (अनुसूची इआई का 3)	16	
17	कुल आय (14-15+16) (लागू होगा यदि (14-15) अधिकतम रकम, जो कर प्रभार्य नहीं है)	17	
18	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गचठ की पंक्ति xii का योग)	18	
19	धारा 115अग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एएमटी का 3)	19	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	क धारा 115 अ ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित कर का 4)	1क	
		ख (क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1 ख	
		ग स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क +1ख) 3 पर	1 ग	
		घ समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर (1क + 1ख + 1 ग)	1 घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर		
		क भाग ख- ट ाळ आई कुल आय के 17 पर सामान्य दरों पर कर	2क	
		ख विशेष दरों पर कर (अनुसूची द झ का (ii) का योग)	2ख	
		ग कृषि आय पर रिबे ट (लागू होगा यदि (भाग ख- ट ाळ आई कुल आय का(14-15) अधिकतम रकम अधिक नहीं है जिस पर प्रभार्य नहीं है)	2ग	
		घ कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख- 2ग)	2घ	
		ड धारा 87क के अधीन रिबे ट	2ड	
	च रिबे ट के पश्चात संदेय कर (2घ - 2 ड)	2च		
	छ अधिभार			
	i अनुसूची धझ के 17(i) का @25 प्रतिशत	2छ i	उपांतिक राहत से पूर्व परिकल्पित अधिभार	उपांतिक राहत के बाद अधिभार
	ii अनुसूची एस आई की 2 (ii), 3 (ii), 9 (ii), 12 (ii), 22 (ii), 24 (ii) के अनुसार 10% या 15% या 20% की दर पर	2छ ii		

		iii (2च) - (अनुसूची एसआई के 17(ii), 2(ii), 3(ii), 9(ii), 12(ii), 22(ii), 24(ii)) पर	2छ iii			
		iv कुल (ik + iik)			2छiv	
	ज	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (2 च + 2 छ iv)			2ज	
	झ	कुल कर दायित्व (2च + 2छiv + 2झ)			2झ	
3		कुल कर संदेय (1घ और 2ii से उच्चतर)			3	
3क		धारा 17(2)(vi) में संदर्भित 80 आईएसी अनुसूची वेतन में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ से आय को शामिल किए बिना आय पर कर			3क	
3ख		धारा 80 आईएसी में संदर्भित स्टार्ट-अप पात्र होने के नाते धारा 17(2) में संदर्भित नियोक्ता से प्राप्त अभिलाभ पर आय से संबंधित आस्थगित कर			3ख	
4		पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115अघ के अधीन जमा (लागू यदि 2ii 1 घ से अधिक है) (अनुसूची क ड न क का 5)			4	
5		धारा 115अघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (3क - 4)			5	
6		कर राहत				
	क	धारा 89 (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए फॉर्म 10ड जमा करना सुनिश्चित करें)	6क			
	ख	धारा 90 या धारा 90क (अनुसूची ल द का 2)	6ख			
	ग	धारा 91 (अनुसूची ल.द का 3)	6ग			
	घ	कुल (6क + 6ख + 6ग)			6घ	
7		शुद्ध कर दायित्व (5 - 6 घ) (शून्य भरे यदि नकारात्मक है)			7	
8		व्याज और फीस देय				
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234क)	8क			
	ख	अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234ख)	8ख			
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए व्याज (धारा 234ग)	8ग			
	घ	आय की विवरणी देने में अतिक्रम करने के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ			
	ड	कुल व्याज और फीस देय (8क + 8ख + 8ग + 8घ)			8ड	
9		औसत दायित्व (7 + 8ड)			9	
10		संदत्त कर				
	क	अग्रिम कर (17 क के स्तंभ 5 से)	10क			
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (18ख के स्तंभ 5 और 17 ग के स्तंभ 9 का कुल)	10ख			
	ग	टी.सी.एस (17घ का स्तंभ 7)	10ग			
	घ	स्वतः निर्धारण कर (17केस्तंभ 5 से)	10घ			
	ड	संदत्त कुल कर (10क + 10ख + 10ग)			10ड	
11		संदेय रकम (यदि 10ड से अधिक है तो 9 प्रविष्ट ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट ट करें)			11	
12		प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है) (प्रतिदाय यदि कोई है, तो सीधे बैंक खाते में जोड़ दिया जायेगा)			12	
13		क्या भारत में आपका बैंक खाता है (जिसका भारत में बैंक खाता नहीं है नहीं का चयन कर सकते हैं)				हां या नहीं का चयन करें
i.	क)	पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों के अतिरिक्त)				
बैंक खाता	क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खाते की दशा में बैंक का आई.एफ.एस कोड	बैंक का नाम	खाता सं .	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, प्राप्त करना चाहते हैं)एक खाता पर निशान लगाएं(
	i					
	ii					

<p>नोटः</p> <p>1) रिफंड क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए</p> <p>2) रिफंड के मामले में, रिफंड क्रेडिट के लिए कई खातों का चयन किया जाता है तो विवरणी के प्रसंस्करण के बाद सीपीसी द्वारा तय किए गए किसी एक खाते में रिफंड का क्रेडिट किया जाएगा</p>				
<p>आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती है</p>				
<p>ii. ख) गैर-निवासी, जो आयकर रिफंड का दावा करते हैं और उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, विकल्प में एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा दे सकते हैं</p>				
	क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश
	1.			
<p>14 क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय</p> <p>i) (भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां) जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है (को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं।</p> <p>ii) (भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या</p> <p>iii) (भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है?) निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें (</p>				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

15					यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:									
कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.					कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम					कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर				
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम					16									
17					अनुसूची-आयकर									
क					आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे									
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड			निक्षेप की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)			चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)					
	(1)	(2)			(3)			(4)	(5)					
	i													
	ii													
	iii													
टिप्पण ▶					भाग ख - ट ाळ ट ाळआई की क्रम सं. 10क और 10घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें ।									
ख					वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]									
वेतन से स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)			नियोजक का नाम			वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर					
	(1)	(2)			(3)			(4)	(5)					
	i													
टिप्पण ▶					कृपया भाग ख - ट ाळ ट ाळआई के भाग 10ख में स्तम्भ 5 का योग प्रविष्ट करें ।									
ग					स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टी.डी.एस) प्ररूप16 क या प्ररूप 16ख / 16ग/16घ के अनुसार]									

क्रम.सं.	स्वयं /अन्य व्यक्ति के संबंध में प्रत्यय टी.डी.एस.(धारा 5 क के अनुसार पति का पत्नी/नियम 35 ख क (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार संख्या (यदि टी.डी.एस प्रत्यय अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरारदार या क्रेता का पैन/ आधार संख्या	आगे लाया गया अदावकृत टी.डी.एस		मौजूदा वित्त वर्ष का टी.डी.एस (वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान टी.डी.एस कटौती)	इस वर्ष जमा टी.डी.एस का दावा (केवल तभी जब समान आय इसी वर्ष कर से लिए प्रस्तावित, लागू नहीं, यदि टीडीएस धारा 194 एन के अधीन काटा गया।	प्रस्तावित समान रसीद/ आहरण			टी.डी.एस प्रत्यय अग्रणीत किया जा रहा है।		
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	आगे लाया गया टी.डी.एस			स्वयं द्वारा कटौती	धारा 5 क के अनुसार पति /पत्नी या नियम 35ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों कटौती (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों दावा		धारा 5 क के अनुसार पति /पत्नी या नियम 35 ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों दावा (यदि लागू हो)	सकल रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							आय टी.डी.एस		आय टी.डी.एस पैन/ आधार संख्या				
i													

टिप्पण▶ कृपया स्तंभ 9 का कुल भाग - ख -टी टी आई के 10 ख में प्रविष्ट करें।

घ स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)									
टीसीएस पर आय	क्र. सं.	संग्राहक का कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्यांक)	संग्राहक का नाम	अग्रणीत किया गया अदावाकृत टी.सी.एस		चालू वित्तीय वर्ष का ट 00सीएस	इस वर्ष दावा किए जा रहे (5)या (6) से रकम (यदि इस वर्ष कर के लिए केवल तत्स्थानी आय प्रस्थापित की जा रही है)	अग्रणीत की जा रही (5) या (6) से रकम	
				वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रहण किया गया	रकम बी एफ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
i									
ii									

टिप्पण▶ कृपया भाग ख-टी.टी.आई के 10ग में स्तम्भ (7) का योग प्रविष्ट करें।

सत्यापन

मैं.....पुत्र / पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं / करती हूं कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता / करती हूं कि मैं..... (ड्राप डाउन उपबंधित किया गया है) की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूं / रही हूं और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं। मैं स्थायी खाता संख्या.....का धारक हूं (यदि आबंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख

हस्ताक्षर